

34-RUMS BYE-LAWS

बहु राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार
As per Provisions of Multi State Cooperative Societies(Amendment), Act 2023

(ग्यारहवां संस्करण 15 जनवरी, 2024 तक संशोधित) (Eleventh Edition as amended upto 15th January, 2024)

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइज़र कोआपरेटिव लिमिटेड INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LIMITED

इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017 IFFCO SADAN, C-1 DISTRICT CENTRE, SAKET PLACE, NEW DELHI-110017



उप—नियम BYE-LAWS

(बहु राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार) (As per Provisions of Multi State Cooperative Societies (Amendment), Act 2023)

(ग्यारहवां संस्करण 15 जनवरी, 2024 तक यथा संशोधित) (Eleventh Edition as amended upto 15th January, 2024)

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LIMITED

इफको सदन, सी–1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली–110017 IFFCO SADAN, C-1, DISTRICT CENTRE, SAKET PLACE, NEW DELHI-110 017

नं० 7-21/67 क्रेडिट

सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय

भारत सरकार

रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र

मल्टी यूनिट कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट(1942 का VI) के उपबंधों के अनुसरण मूं इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली को बम्बई कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट (1925 का VII), जो केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू है, के अन्तर्गत मल्टी यूनिट सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत किया जाता है। समिति का रजिस्ट्रेशन नम्बर सी० आर० 1 है।

मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से दिनांक 3 नवम्बर, 1967 को जारी किया गया।

- हस्ताक्षर -(ए० सी० बन्दोपाध्याय) सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार

सहकारिता विभाग खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001

7-21/67-Credit

Office of the Central Registrar of Cooperative Societies Government of India.

CERTIFICATE OF REGISTRATION

In pursuance of the provisions of the Multi-Unit

Cooperative Societies Act (Act VI of 1942), the INDIAN FARMERS FERTILIZER COOPERATIVE LIMITED, New Delhi, is registered as a multi-unit cooperative society under the Bombay Cooperative Societies Act (Act VII of 1925) as extended to the Union Territory of Delhi. The registration number of the society is CR.1.

Given under my hand and seal this day the

3rd November, 1967.

* thanker

(A.C. Bandyopadhyay)

Department of Cooperative Societies Cooperation,
Ministry of Food, Agriculture,

C.D. & Cooperation, Krishi Bhavan,

Krishi Bhavan, New Delhi-1.

सं0 एल-11015/8/75-एल एंड एम (खण्ड-4) भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

संशोधनों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र

बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको), नई दिल्ली की आमसभा ने 27 सितम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में उपनियमों में समूह संशोधनों को पारित किया था जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 11 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत एतद्द्वारा निम्नलिखित के अधीन पंजीकृत किये जाते हैं:-

<u>उपनियम सं0 8</u>: धारा 10(2)(सी) की अपेक्षाओं के अनुसार सेवा के उपयोग के न्यूनतम स्तर

को विनिर्दिष्ट किया जाए।

उपनियम सं0 18: सदस्यों के त्याग-पत्र के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिए जाने की

समय-सीमा निर्धारित की जाए । इस शर्त के अधीन यह उपनियम पंजीकृत

किया जाता है।

उपनियम सं0 19 (घ)ः सेवाओं/उत्पादों के उपयोग की सीमा विनिर्दिष्ट की जाए । इस शर्त के

अधीन यह उपनियम पंजीकृत किया जाता है।

उपनियम सं0 21: निम्नानुसार पंजीकृत किया जाता है :-

"इफको के परिसमापन की अवस्था में इफको की परिसम्पत्तियों की किसी कमी को पूरा करने के लिए सदस्यों का दायित्व उनकी शेयर होल्डिंग की सीमा

तक, अप्रदत्त राशि सहित, तक सीमित होगा ।

उपनियम सं0 27: उपनियम इस शर्त के अधीन पंजीकृत किया जाता है कि आम सभा के कार्यों

में निम्नलिखित 3 खंड और जोड़े जाएं :-

"(xii) सहायक संस्थाओं, यदि कोई हों, की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं

की समीक्षा,

(xv) लेखा परीक्षा अनुपालन रिपोर्ट पर विचार,

No. L-11015/8/75-L&M (Vol.IV) Government of India Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation)

Krishi Bhayan, New Delhi

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AMENDMENT

In pursuance of the provisions of the Multi-State Cooperative Societies: Act, 2002, the en bloc amendments to the byelaws passed by the General Body of Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), New Delhi in their meeting held on 27th September, 2002 are hereby registered under Section 11 of the Multi State Cooperative Societies Act 2002 (39 of 2002) and Rules framed thereunder subject to the following:

Byelaw No 8 -	The minimum	level of	utilization	of	service	as	required	under
section 10 (2) should be specified.							•	

Byelaw No.18 - The time limit for taking a decision by the Board of Directors on the resignation of a Member should be specified. Subject to this, the byelaw is registered.

Byelaw No.19(d) The extent of service/product should be specified. Subject to this, the byelaw is registered.

Byelaw No.21 Registered as below:-

"The liability of the members of IFFCO for meeting any deficit in the assets of IFFCO in the event of its being wound up, shall be limited to the extent of their share holdings including unpaid amount.

Byclaw No.27 The byelaw is registered with the stipulation that the following three clauses under the Powers of General Body may be also added:

"(xii) Review of Annual Report and Accounts of Subsidiary Institutions, if any,

(xv) Consideration of Audit Compliance Report,

(xvi) कार्यचालन घाटा, यदि कोई हो, की समीक्षा ।"

उपनियम सं0 34(vi): यह उपनियम 21 निदेशकों की समग्र सीमा के अधीन पंजीकृत किया जाता है।

उपनियम सं0 35(ii): अंत में यह जोड़े जाने के अधीन पंजीकृत किया जाता है कि सरकार/सम्बद्ध संस्थान नये निदेशक मंडल में नये नामांकन कर

सकेंगे ।

उपनियम सं0 43(vi)(क)ः इस शर्त के अधीन पंजीकृत किया जाता है कि ''अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट शब्दों के स्थान पर अधिनियम और नियमों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन'' जोड़ा जाए ।

उपनियम सं0 43(xv): अंत में ''और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों'' जोड़े जाने के अधीन पंजीकृत किया जाता है ।

मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर से 26 दिसम्बर, 2002 को पंजीकृत ।

हस्ता0 (के एस भोरिया) भारत सरकार के संयुक्त सचिव एवं सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार

प्रबंध निदेशक, इफको, 34, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (xvi) Review of Operational Delicit, if any."

Registered subject to the condition of overall limit of 21 Directors. Byelaw No.34(vi)

Registered with the addition Byelaw No.35(ii) the end government/concerned institution will make fresh nomination for

the new Board.

Registered with the stipulation, "approved by Central Government Byelaw 43(vi)(a)

under the Act and Rules in place of the words prescribed under the

Act.

Registered with the addition of "and Rules framed there-under" in Byelaw No.43(xv)

the end.

Given under my hand and seal this 26th day of December, 2002.

(K.S. Bhoria) --Joint Secretary to the Government of India

Central Registrar of Cooperative Societies

The Managing Director, IFFCO. 34, Nehru Place, New Delhi-110019

सं. एल-11015/8/75-एल एण्ड एम (खंड- III) भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 दिनांक: 25 फरवरी. 2003

सेवा में

प्रबंध निदेशक, इफको, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

महोदय,

कृपया इफको के संशोधित उपनियमों के लागू होने के संबंध में अपने दिनांक 24 फरवरी, 2003 के पत्र का संदर्भ लें।

- 2. इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 की धारा 126(3) के अनुसार, वे उपनियम जो नये अधिनियम और नियमों के असंगत नहीं हैं, उन्हें एमएससीएस अधिनियम 2002 के प्रवृत्त होने की तारीख से पंजीकृत और लागू माना जाएगा। अत: ऐसे मामलों में, इफको के वे उपनियम, अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख अर्थात् 19.8.2003 से लागू होंगे, जैसा कि इफको की आम सभा द्वारा भी इस आशय का संकल्प पारित किया गया है।
- 3. अन्य उपनियमों के मामले में, उनके लागू होने की तारीख आम सभा की बैठक की तारीख होगी जैसा कि इफको ने अपने एक संकल्प में पहले ही यह पारित किया है कि उपनियमों के लागू होने की तारीख वही होगी जैसा कि एमएससीएस अधिनियम, 2002 की धारा 12 में प्रावधान किया गया है।
- 4. इफको उपनियम 6 और 7, जिनमें सरकार की इक्विटी वापिस करने संबंधी प्रावधान है और जिन्हें आम सभा द्वारा पारित किया गया था और केंद्रीय रिजस्ट्रार ने पंजीकृत किया था, आम सभा द्वारा संकल्प पारित किये जाने की तारीख से लागू होंगे क्योंकि ये प्रावधान मौजूदा उपनियमों में नहीं थे और आम सभा द्वारा इन्हें उपांतरित (मॉडिफाइड) किया गया था। चूंकि इफको की आम सभा ने 27.9.2002 को हुई अपनी बैठक में यह पारित किया था कि संशोधित उपनियम 19.8.2002 से लागू होंगे, इसलिए उपर्युक्त नियम सं. 6 और 7 आम सभा द्वारा संकल्प पारित करने की तारीख अर्थात् 27.9.2002 से लागू होंगे।

भवदीय,

हस्ता.

(जे.पी. मीणा)

मुख्य निदेशक (सहकारिता) टेलीफैक्स नं. : 23389348

No. L-11015/8/75-L&M (Vol.III) Government of India Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation)

Krishi Bhavan, New Delhi-110 001

Dated: 25th Feb., 2003

To ·

The Managing Director, IFFCO. Nehru Place, New Delhi-110 019.

Sir,

Please refer to your letter dated February 24, 2003 regarding applicability of the amended bye-laws of IFFCO.

- In this connection it is stated that as per section 126(3) of the Multi-State 2. Cooperative Societies Act 2002, the bye-laws which are not inconsistent with the new Act and Rules would be deemed to be registered and in operation from the date of enforcement of the MSCS Act 2002. Therefore in such cases, the bye-laws of IFFCO may be applicable from the date of enforcement of the Act, i.e. 19.8.2003, as the IFFCO general body has also passed such a resolution.
- 3. In case of the other bye-laws, the date of application would be the date of meeting of the General Body as the IFFCO has already by a resolution expressed the date for enforcement of the bye-laws as provided in section 12 of the MSCS Act, 2002.
- 4. The bye-laws 6&7 of the IFFCO providing for retirement of government equity as passed by the General body and registered by the Central Registrar would be applicable from the date of passing the resolution by the General Body as the same were not existing bye-laws and were modified by the General body. Since the General Body of IFFCO in its meeting held on 27.9.2002 expressed that the amended bye-laws would be applicable from 19.8.2002, therefore, the bye-laws No.6&7 as mentioned above shall at least be applicable from the date of resolution of the general body i.e. with effect from 27.9.2002.

Yours faithfully,

Chief Director (Coop) Telefax # 23389348

नं. एल-11015/3/75-एल एंड एम-(खंड-III)

भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली 25 फरवरी, 2003

शुद्धिपत्र

सेवा में

प्रबंध निदेशक इफको, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110 019

कृपया इस विभाग के दिनांक 25.2.2003 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लें जो इफको के संशोधित उप-नियमों के लागू होने के संबंध में था । इस विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख 19.8.2002 की बजाय गलती से 19.8.2003 टाइप हो गई है । कृपया बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज़ अधिनियम, 2002 के लागू होने की तारीख को 19.8.2003 की बजाय 19.8.2002 पढ़ा जाए ।

भवदीय,

हस्ता0 (जे पी मीणा) मुख्य निदेशक (सहकारिता)

No. L-11015/3/75-L&M-(Vol. III) Government of India Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture & Cooperation)

Krishi Bhawan, New Delhi Dated the February 25, 2003

CORRIGENDUM

To,

The Managing Director, IFFCO, Nehru Place, New Delhi – 110 019.

I am directed to refer to this Department's letter of even number dated 25/03/2003 regarding operation of amended bye-laws of IFFCO and to say that the date of enforcement of the Act has inadvertently been typed as 19/08/2003 instead of 19/08/2002. The date of enforcement of Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 may please be read as 19/08/2002 instead of 19/08/2003.

Yours faithfully,

Chief Director (Cooperation)

एफ नं० एल-11015/8/75-एल एंड एम/खण्ड-4 भारत सरकार

मारत सरकार कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

कार्यालय - केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां

कृषि भवन, नई दिल्ली

संशोधन के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र

बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के उपनियम सं. 34(vii) में किए गए संशोधन को एतद्द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज़ अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 11 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया जाता है।

अन्य सभी प्रावधान, जिनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, वह बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित होंगे।

यह प्रमाण पत्र 14 जुलाई, 2004 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया।

- हस्ता०-

(सतीश चंद्र) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

एवं

सेवा में:

केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां

प्रबंध निदेशक

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड,

34, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019.

F. No. L-11015/8/75-L&M/Vol. IV Government of India Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation)

OFFICE OF CENTRAL REGISTRAR OF COOPERATIVE SOCIETIES

Krishi Bhawan, New Delhi

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AMENDMENT

In pursuance of the provisions of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, the amendment to the bye-law No. 34(vii) of Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd., New Delhi is hereby registered under Section 11 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002).

All other provisions as are not provided for herein shall be decided according to terms of MSCS Act, 02 and the rules framed thereunder.

Given under my hand and seal this the 14 th day of July, 2004.



(Satish Chander)
Joint Secretary to the Government of India &
Central Registrar of Cooperative Societies

To,

Managing Director, Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited, 34, Nehru Place, New Delhi-110019.

रजिस्टर्ड डाक द्वारा

एफ. नं0 एल-11015/8/75-एल एंड एम/खंड-4 भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग)

केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां का कार्यालय कृषि भवन, नई दिल्ली

संशोधन के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र

बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के उपनियम सं. 25, 47(8) और 54(ix) में किए गए संशोधनों को एतद्द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज़ अधिनियम, 2002 (2002 का 39वां) की धारा 11 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया जाता है।

अन्य सभी प्रावधान, जिनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, वे बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित होंगे ।

यह प्रमाणपत्र 13 जून, 2005 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया।

- हस्ताक्षरित-(सतीश चंद्र) संयुक्त सचिव, भारत सरकार एवं केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां

सेवा में:

प्रबंध निदेशक इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, 34, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019.

F. No. L-11015/8/75-L&M/Vol. IV Government of India Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation)

OFFICE OF CENTRAL REGISTRAR OF COOPERATIVE SOCIETIES

Krishi Bhawan, New Delhi

OF AMENDMENT

In pursuance of the provisions of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, the amendment to the bye-laws No. 25, 47(8) and 54(ix) of Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd., New Delhi is hereby registered under Section 11 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002).

All other provisions as are not provided for herein shall be decided according to terms of MSCS Act, 02 and the rules framed thereunder.

Given under my hand and seal this the 13 L day of June, 2005.



d-4.

(Satish Chander)
Joint Secretary to the Government of India
&
Central Registrar of Cooperative Societies

To,

The Managing Director, Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited, 34, Nehru Place, New Delhi-110019.

रजिस्टर्ड डाक द्वारा

एफ नं0 एल-11015/8/75-एल एंड एम भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग

केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों का कार्यालय

कृषि भवन, नई दिल्ली

संशोधन के रजिस्ट्रेशन का

प्रमाण-पत्र

बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के उपनियम सं0-34(v),42,43(vi)(ग),43(vii), 43(xviii), 46(i),46(iii), 47(13), 48(iii), 49(iii), 54(viii) तथा 54(ix) में किये गये संशोधनों को एतद्द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 11 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड किया जाता है। उपनियम सं0 40 को भी निम्नलिखित शर्तों के साथ पूर्वोक्त अनुसार रजिस्टर्ड किया जाता है:

- उप नियम सं0 40 : (i) शब्द तथा अंक "1/3 भाग" के स्थान पर शब्द "आधा" होगा.
 - (ii) अंक 10 के स्थान पर शब्द "पन्द्रह" होगा और
 - (iii) शब्द "छह" के स्थान पर शब्द "आठ" होगा तथा शब्द "सिमिति के पूर्णकालिक पदेन निदेशकों" के स्थान पर "फंक्शनल तथा सहयोजित निदेशक" शब्द होंगे ।

F.No.L-11015/8/75-L&M Government of India Ministry of Agriculture Department of Agriculture & Cooperation

OFFICE OF CENTRAL REGISTRAR OF COOPERATIVE SOCIETIES

Krishi Bhawan, New Delhi

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AMENDMENT

In pursuance of the provisions of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, amendments to the bye-law no.34(v), 42, 43(vi)(c), 43(vii), 43(xviii), 46 (i), 46 (iii), 47 (13), 48(iii), 49(iii), 54 (viii) and 54(ix), of Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd, New Delhi are hereby registered under Section 11 of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002) and the rules made thereunder. Also bye law no.40 is registered ibid subject to the following:

Bye law no.40:

- (i) The word and figure "1/3rd" shall be substituted by the words "one half";
- (ii) The figure "10" shall be substituted by the word "fifteen" and

The word "six" shall be substituted by the word "eight" and replacing the words "whole time ex-officio Directors of the Society" by the words "Functional and Co-opted Directors".

मौजूदा उप नियम : अब "वित्त निदेशक तथा विपणन निदेशक" शब्दों के स्थान पर सं0 43 (vi)(ख) "फंक्शनल निदेशक" शब्द करने के साथ रजिस्टर्ड किया जाता है ।

यह प्रमाण-पत्र 1 जून, 2006 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया ।

-हस्ताक्षरित-(सतीश चंद्र) संयुक्त सचिव, भारत सरकार एवं केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां

सेवा में

प्रबंध निदेशक इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, 34, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019.

प्रतिलिपि :

- (1) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली
- (2) गार्ड फाइल
- (3) कार्यालय प्रति

Existing Bye law no.43(vi)(b):

Now stand registered after substituting the words "Finance Director and the Marketing Director" by the words "Functional Directors".

Given under any hand seal this the

day of June, 2006,

(Satish Chander)

Joint Secretary to the Government of India &

Central Registrar of Cooperative Societies

To

The Managing Director, Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd., 34, Nehru Place, New Delhi-110019

Copy to:

- (1) Registrar of Cooperative Societies, Government of NCT of Delhi, Parliament Street, New Delhi.
- (2) Guard File
- (3) Office Copy

एफ नं0 एल-11015/8/75-एल एंड एम भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) कार्यालय - केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां कृषि भवन, नई दिल्ली

संशोधन के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र

बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के उपनियम सं. 43(**XXIII**) में किए गए संशोधन को एतद्द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज़ अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 11 के अन्तर्गत रिजस्टर्ड किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र 4 जून, 2007 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया।

हस्ता.

(सतीश चंद्र)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार एवं केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां

सेवा में:

प्रबंध निदेशक इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017.

F. No. L-11015/8/75- L & M Government of India Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation)

OFFICE OF CENTRAL REGISTRAR OF COOPERATIVE SOCIETIES

Krishi Bhawan, New Delhi

OF AMENDMENT

In pursuance of the provisions of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, amendment to the **bye-law No. 43(xxiii) of Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd., New Delhi** is hereby registered under Section 11 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002) and the course made there under.

Given under my hand and seal this the 4 day of June, 2007.

(Satish Chander)

Joint Secretary to the Government of India &

Central Registrar of Cooperative Societies

To,

The Managing Director, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd., IFFCO Sadan, C-1, Distt. Centre, Saket, New Delhi-110 017.

पंजीकृत / स्पीड पोस्ट

सं. एल-11015/8/75-एल एंड एम सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग)

सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय

कृषि भवन, नई दिल्ली

संशोधन का पंजीकरण प्रमाण–पत्र

बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में "इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको), इफको सदन, सी—1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली—110017" के उपनियम सं. 19(ङ), 34(i) व 34(iv) (क, ख), 35 (i) व 36 में संशोधन बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 2002(2002 का 39) की धारा 11 के अन्तर्गत एतद्द्वारा पंजीकृत किये जाते हैं।

अन्य सभी प्रावधान, जिनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित होंगे।

यह प्रमाण पत्र 26 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया।

हस्ता. –
 (आशीष कुमार भुटानी)
 संयुक्त सचिव, भारत सरकार
 एवं
 सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, इफको सदन, सी—1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली—110017

No. L-11015/8/75 -L&M Government of India Ministry of Agriculture Department of Agriculture & Cooperation

OFFICE OF THE CENTRAL REGISTRAR OF COOPERATIVE SOCIETIES

Krishi Bhavan, New Delhi.

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AMENDMENT

In pursuance of the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002, amendment to bye-law no. 19(e), 34(i), 34(iv)(a,b), 35(i) and 36 of "Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd.(IFFCO), IFFCO, Sadan, C-1, Distt. Centre, Saket Place, New Delhi-110017" is registered under section 11 of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002).

All other provisions as are not provided for herein shall be decided according to terms of MSCS Act, 2002 and the rules made there under.

Given under my hand and seal this the 26 day of September, 2013.

Of Cooperation of Coo

(Ashish Kumar Bhutani)

Joint Secretary to the Government of India &

Central Registrar of Cooperative Societies.

To.

Managing Director Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd. (IFFCO), IFFCO, Sadan, C-1. Distt. Centre, Saket Place, New Delhi-110017

रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा

नं. एल-11015/8/75- एल एंड एम(खण्ड-4) भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग

केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों का कार्यालय

कृषि भवन, नई दिल्ली.

संशोधन के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र

बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में **इंडियन फारमर्स** फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड,(इफको), इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017 के उपनियम सं. 4(क) [क्रम सं.], 4(ख) [नया जोड़ा गया], 10(क) [क्रम संख्या], 10(ख) [नया जोड़ा गया] में किये गये संशोधनों को एतद्द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 11 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड किया जाता है।

अन्य सभी प्रावधान, जिनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित होंगे।

यह प्रमाणपत्र 4 जुलाई, 2014 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया ।

हस्ताक्षरित-(राज सिंह) संयुक्त सचिव, भारत सरकार एवं केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां

सेवा में:

प्रबंध निदेशक इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017

No. L-11015/8/75 -L&M (Vol. IV) Government of India Ministry of Agriculture Department of Agriculture & Cooperation

OFFICE OF THE CENTRAL REGISTRAR OF COOPERATIVE SOCIETIES

Krishi Bhavan, New Delhi.

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AMENDMENT

In pursuance of the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002, amendment to bye-law no. 4(a)[serial number], 4(b)[new insertion], 10(a)[serial number], 10(b)[new insertion] of "Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd.(IFFCO), IFFCO, Sadan, C-1, Distt. Centre, Saket Place, New Delhi-110017" is registered under section 11 of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002).

All other provisions as are not provided for herein shall be decided according to terms of MSCS Act, 2002 and the rules made there under.

Given under my hand and seal this the 4 / day of July, 2014.

Secretal Association of Cooperation of Cooperation

Joint Secretary to the Government of India

Central Registrar of Cooperative Societies.

To.

Managing Director
Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd.(IFFCO),
IFFCO, Sadan, C-1, Distt. Centre, Saket Place, New Delhi-110017

नं0 एल-11015/8/75-एल एंड एम (खण्ड-5) भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग

केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों का कार्यालय

कृषि भवन, नई दिल्ली.

संशोधन के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण - पत्र

बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड , (इफको), इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017 के उपनियम सं0 3(क),19(ङ.),19(ज),19(ङ्ग) [इस परिवर्तन के साथ कि उपनियम के पाठ के अंत में निम्न अभिव्यक्ति जोड़ी जाएगी- "बशर्ते उपर्युक्त आधार पर अयोग्य होने वाले सदस्य का निष्कासन बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम,2002 की धारा 30 के अनुसार हुआ हो],20,34(v),43 (i),46(i) और 46 (iii) में किए गए संशोधनों को एतदृद्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 11 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड किया जाता है।

अन्य सभी प्रावधान, जिनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित होंगे।

यह प्रमाणपत्र 3 जून,2015 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया ।

हस्ताक्षरित (आशीष कुमार भुटानी) संयुक्त सचिव, भारत सरकार एवं केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां

सेवा में :

प्रबंध निदेशक इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड इफको सदन, सी-1,डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017

No. L-11015/8/75 -L&M (Vol. V) Government of India Ministry of Agriculture Department of Agriculture & Cooperation

OFFICE OF THE CENTRAL REGISTRAR OF COOPERATIVE SOCIETIES

Krishi Bhavan, New Delhi.

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AMENDMENT

In pursuance of the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002, amendment to bye-law no. 3(a), 19(e), 19(h), 19(i)[with modification that following expression shall be suffixed to text of bye-law "Provided that expulsion of the member becoming ineligible on the above grounds shall be as per section 30 of the MSCS Act 2002], 20, 34(v), 43(i), 46(i) and 46(iii) of "Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd. (IFFCO), IFFCO Sadan, C-1, District Centre, Saket Place, New Delhi-110017" is registered under section 11 of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002).

All other provisions as are not provided for herein shall be decided according to terms of MSCS Act, 2002 and the rules made there under.

Given under my hand and seal this the 3³d day of June, 2015.

The Delmi

(Ashish Kumar Bhutani)

Joint Secretary to the Government of India

Central Registrar of Cooperative Societies.

To,

Managing Director Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd.(IFFCO), IFFCO, Sadan, C-1, District Centre, Saket Place, New Delhi-110017 एफ नं.- एल-11015/8/1975-एल एंड एम भारत सरकार कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (एल एंड एम सेक्शन)

सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय

कृषि भवन, नई दिल्ली

संशोधन का पंजीकरण प्रमाण पत्र

बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में "इंडियन फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड(इफको), इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017" के उपनियम सं. 4(ख), 15(iii) व 35(i) में किये गये संशोधन बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 2002(2002 का 39) की धारा 11 के अंतर्गत एतद्द्वारा पंजीकृत किये जाते हैं।

अन्य सभी प्रावधान, जिनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित होंगे।

यह प्रमाण-पत्र 10 अगस्त 2017 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया।

-हस्ताक्षर-

(आशीष कुमार भुटानी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार एवं सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017

F. No. L-11015 /8 / 1975 -L&M Government of India Ministry of Agriculture & Farmers Welfare Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare (L & M Section)

OFFICE OF THE CENTRAL REGISTRAR OF COOPERATIVE SOCIETIES

Krishi Bhavan, New Delhi.

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AMENDMENT

In pursuance of the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002, amendment to bye-law Nos. 4(b) ,15(iii) and 35(i) of "Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited(IFFCO), IFFCO Sadan, C-1, District Centre, Saket Place, New Delhi – 110027" are hereby registered under section 11 of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002).

All other provisions as are not provided for herein shall be decided according to terms of MSCS Act, 2002 and the rules made there under.

Given under my hand and seal this the day of August, 2017.



(Ashish Kumar Bhutani)
Joint Secretary to the Government of India
&
Central Registrar of Cooperative Societies.

To

Managing Director, Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited(IFFCO), IFFCO Sadan, C-1, District Centre, Saket Place, New Delhi – 110027 एफ नं.- एल-11015/8/1975-एल एंड एम भारत सरकार कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (एल एंड एम सेक्शन)

सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय

कृषि भवन, नई दिल्ली

संशोधन का पंजीकरण प्रमाण पत्र

बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में "इंडियन फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड(इफको), इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017" के उपनियम सं. 60 में किया गया संशोधन बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 2002(2002 का 39) की धारा 11 के अंतर्गत एतद्द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

अन्य सभी प्रावधान, जिनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित होंगे ।

यह प्रमाण-पत्र 9 अक्टूबर 2017 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया ।

-हस्ताक्षर-

(आशीष कुमार भुटानी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार एवं सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार

सेवा में.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017

F. No. L.11015/8/1975-L&M Government of India Ministry of Agriculture & Farmers Welfare Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare (L & M Section)

OFFICE OF THE CENTRAL REGISTRAR OF COOPERATIVE SOCIETIES

Krishi Bhavan, New Delhi.

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AMENDMENT

In pursuance of the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002, amendment to bye-law No. 60 of "The Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO), IFFCO Sadan, C-1, District Centre, Saket Place, New Delhi – 110027" is hereby registered under section 11 of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002).

All other provisions as are not provided for herein shall be decided according to terms of MSCS Act, 2002 and the rules made there under.

Given under my hand and seal this the 9th day of October, 2017.

West Person of Manager And Andrews And

(Ashish Kumar Bhutani)
Joint Secretary to the Government of India

Central Registrar of Cooperative Societies.

To

Chief Executive Officer,
The Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO),
IFFCO Sadan, C-1, District Centre, Saket Place,
New Delhi 110027

एफ नं.-एल.11015/8/1975-एल एंड एम भारत सरकार कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता व किसान कल्याण विभाग (एल एंड एम सेक्शन)

केन्द्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों का कार्यालय

कृषि भवन, नई दिल्ली

संशोधन के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र

बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में **इंडियन फारमर्स** फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, इफको सदन, सी–1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली—110017 के उपनियम सं. 24(iii)(क), 24(iv) (आशिक)(जैसा कि संयुक्त निदेशक, पंजीकरण द्वारा जारी दिनांक 20.08.2018 के पत्र सं. एल. 11015/8/1975 एल एंड एम में स्पष्ट किया गया है), 34(i)(क, ख), 34(ii) तथा 34(vii) में किये गये संशोधनों को एतद्द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002(2002 का 39) की धारा 11 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार रिजस्टर्ड किया जाता है।

अन्य सभी प्रावधान, जिनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित होंगे।

यह प्रमाणपत्र 20 अगस्त 2018 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया।

यह प्रमाणपत्र http://mscs.dac.gov.in पर उपलब्ध है।

हस्ताक्षरित (दिनेश कुमार) संयुक्त सचिव, भारत सरकार एवं केन्द्रीय रजिस्टार, सहकारी समितियां

सेवा में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि., इफको सदन, सी–1 डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली–110027

F.No. L.11015/8/1975 -L&M

Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare

(L & M Section)

OFFICE OF THE CENTRAL REGISTRAR OF COOPERATIVE SOCIETIES

Krishi Bhavan, New Delhi.

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AMENDMENT

In pursuance of the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act. 2002, amendment to bye-law Nos. 24(iii)(a), 24(iv)(partial)[as explained in letter No. L.110157 8/1975 -L&M dated. 20.8.2018 issued by Joint. Director, Registration], 34(i)(a,b), 34(ii) and 34(vii) of "Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd., IFFCO Sadan, C-1, District Centre, Saket Place, New Delhi – 110027" are hereby registered under section 11 of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002).

All other provisions as are not provided for herein shall be decided according to terms of MSCS Act, 2002 and the rules made there under.

Given under my hand and seal this the

20 day of August, 2018.

This certificate is available on https://mscs.dac.gov.in

Wew Dokur

(DINESH KUMAR)

Joint Secretary to the Government of India &

Central Registrar of Cooperative Societies.

To

Chief Executive Officer, Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd., IFFCO Sadan, C-1, District Centre, Saket Place, New Delhi – 110027

एफ. नं. एल-11015/8/75-एल एंड एम भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय

सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय

अटल अक्षय ऊर्जा भवन, नई दिल्ली दिनांकः 12 दिसंबर, 2023

संशोधन के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र

बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, (इफको), इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017 के उपनियम सं. 1(i), 3(a), 4(a)(विलोपन), 10(a)(ख); 8; 19(a); 23; 27(i)(क), (ख); 27(i)(), (viii); 28; 34(i), (ix) (नया जोड़ा गया); 36; 38(i), (ii); 40(i), (ii); 43(xxii) (क), (ख); 46(ii); 53a(i) (नया जोड़ा गया); 53a; 53a(नया जोड़ा गया) (i), (ii); 54π (नया जोड़ा गया) (a), (a),

यह प्रमाणपत्र 12 दिसंबर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया ।

हस्ताक्षरित-(विजय कुमार) सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार

सेवा में:

प्रबंध निदेशक इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017

F.No.- L-11015/8/75-L&M Government of India Ministry of Cooperation Office of Central Registrar of Cooperative Societies

Atal Akshay Urja Bhavan, New Delhi Dated: 12th December, 2023

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AMENDMENT

In pursuance of the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002; amendment to bye-law Nos. 1(i), 3(a), 4(b)(deletion), 10(a)(b); 8; 19(d); 23; 27(i)(a), (b); 27 (iv), (viii); 28; 34(i), (ix)(new addition); 36; 38(i), (ii); 40 (i), (ii); 43(xxii) (a), (b); 46(ii); 53A(i)(new addition); 53A; 53B (new addition) (i), (ii); 54C(new addition) (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l); 54B(new addition) (i), (iii), (iv); 54A(new addition) (i), (iii); 56(ii), (iii), (iv), (v), (vi); 60; 61(new addition) of "Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited., IFFCO Sadan, C-1, Distt. Centre, Saket Place, New Delhi-110017," are hereby registered under section 11 of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002). Further, the society shall frame and amend its bye-laws in accordance with the MSCS (Amendment) Act, 2023 and MSCS (Amendment) Rules, 2023.

Given under my hand and seal this the 12th day of December, 2023.

(Vijay Kumar)
Central Registrar of Cooperative Societies

To

Managing Director, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited IFFCO Sadan, C-1, Distt. Centre, Saket Place, New Delhi-110017

Vew Delni



एफ. नं. एल-11015/8/75-एल एंड एम भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय

सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार का कार्यालय

अटल अक्षय ऊर्जा भवन, नई दिल्ली दिनांकः 15 जनवरी, 2024

संशोधन के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र

बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में **इंडियन फारमर्स** फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, (इफको), इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017 के उपनियम सं. 34(Viii) (नया जोड़ा गया) में किये गये संशोधन को एतद्द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 11 के अनुसार रिजस्टर्ड किया जाता है। इसके अलावा समिति अपने उपनियम बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम (संशोधित), 2023 और बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज नियम (संशोधित), 2023 के अनुसार बनाएगी और संशोधित करेगी।

यह प्रमाणपत्र 15 जनवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर से जारी किया गया ।

हस्ताक्षरित-(विजय कुमार) सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार

सेवा में:

प्रबंध निदेशक इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017

F.No.-L-11015/8/75-L&M Government of India Ministry of Cooperation Office of Central Registrar of Cooperative Societies

Atal Akshay Urja Bhawan, New Delhi Dated: 15th January, 2024

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AMENDMENT

In pursuance of the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002, Amendment to bye-law No. 34(viii) (new addition) of "Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited, IFFCO Sadan, C-1, Dist. Centre, Saket Place, New Delhi-110017" is hereby registered under section 11 of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002). Further, the society shall frame and amend its bye-laws in accordance with the MSCS (Amendment) Act, 2023 and MSCS (Amendment) Rules, 2023.

Given under my hand and seal, this the 15th day of January, 2024.



Vijay Kumar

Central Registrar of Cooperative Societies

To

Managing Director, Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited, IFFCO Sadan, C-1, Dist. Centre, Saket Place, New Delhi-110017 juli

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के

उपनियम

(रजिस्ट्रेशन नं. सी.आर.1 दिनांक 3 नवम्बर, 1967)

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	नाम व पता	1
2.	कार्यक्षेत्र	1
3.	उद्देश्य	2
4.	सदस्यता	6
5.	शेयर पूंजी	7
6.	सदस्यता के लिए आवेदन और शेयरों का आवंटन	9
7.	सदस्यता से वापसी, त्याग–पत्र और निष्कासन	11
8.	उत्तरदायित्व	13
9.	निधियां	13
10.	अधिकतम ऋण सीमा	14
11.	आम सभा	14
12.	आम सभा की शक्तियां	17
13.	आम सभा की बैठकें	19
14.	निदेशक मंडल	20
15.	निदेशक मंडल की बैठकें	26
16.	निदेशक मंडल की शक्तियां	27
17.	अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष	30
18.	फंक्शनल निदेशक	31
19.	निदेशक मंडल की समितियां/कार्यकारिणी समिति	32
20.	विपणन उप—समिति	35
21.	परियोजना उप–समिति	36
22.	लेखापरीक्षा एवं नीति समिति	37
23.	यौन उत्पीड़न समिति	38
24.	प्रबंध निदेशक की शक्तियां	39
25.	सहकारी सूचना अधिकारी	42
26.	रासायनिक उर्वरकों का आवंटन	44
27.	समिति के लाभों का वितरण	44
28.	विविध	45
29.	निधियों का निवेश	45
30.	भर्ती नीति	45

Bye-Laws

of

Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited, New Delhi (Registration No. C.R. 1 dated November 3, 1967)

CONTENTS

S.No.	Description	Page No.
1.	Name & Address	1
2.	Area of Operation	1
3.	Objects	2
4.	Membership	6
5.	Share Capital	7
6.	Application for Admission & Allotment of Shares	9
7.	Withdrawal, Resignation and Expulsion from Membership	11
8.	Liability	13
9.	Funds	13
10.	Maximum Borrowing Limit	14
11.	General Body	14
12.	Powers of the General Body	17
13.	Meetings of the General Body	19
14.	Board of Directors	20
15.	Meetings of the Board of Directors	26
16.	Powers of the Board of Directors	27
17.	Chairman and Vice-Chairman	30
18.	Functional Directors	31
19.	Committees of the Board of Directors/Executive Committee	32
20.	Marketing Sub-Committee	35
21.	Projects Sub-Committee	36
22.	Audit and Ethics Committee	37
23.	Sexual Harassment Committee	38
24.	Powers of Managing Director	39
25.	Co-operative Information Officer	42
26.	Allotment of Chemical Fertilisers	44
27.	Distribution of Profits of the Society	44
28.	Miscellaneous	45
29.	Investments of Funds	45
30.	Recruitment Policy	45

नाम व पता

 (i) इस सहकारी सिमिति का नाम इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड होगा (जिसे आगे इफको कहा गया है)। इसके पंजीकृत कार्यालय का पता होगा इफको सदन, सी–1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली 110017 । इसका ई–मेल होगा coop@iffco.in;

> (यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र संख्या एफ.नं. एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- (ii) सिमिति की अपनी एक सामान्य (कॉमन) सील होगी। यह सील निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगी। किसी भी दस्तावेज पर निदेशक मंडल, या उप— नियम सं. 47 के तहत गठित निदेशक मंडल की कार्यकारिणी सिमित द्वारा पारित संकल्प के प्राधिकार के बिना कहीं यह सील नहीं लगाई जाएगी और सील किन्हीं दो निदेशकों की उपस्थिति में ही लगाई जाएगी। दोनों निदेशक प्रत्येक दस्तावेज, जिन पर यह सील लगाई गई हो, पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे;
- (iii) इफको एक कारपोरेट संस्था होगी जिसे चल और अचल सम्पित्तयों को अधिगृहीत करने, धारित करने और इसकी बिक्री करने, िकसी वाद को दायर करने या इसका प्रतिवाद करने या अन्य कानूनी कार्यवाही करने तथा सहकारी सिद्धांतों के आधार पर इसके सदस्यों के हितों के पोषण के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करने का अधिकार होगा। इफको अपने सदस्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से सभी कार्य व्यावसायिक और वाणिज्यिक तौर—तरीक से करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें इफको में अपने अंशदान का इष्टतम लाभ मिले।

कार्यक्षेत्र

2. इफको का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से समस्त भारत होगा। अपने सदस्यों तथा कारोबार संबंधी हितों को ध्यान में रखते हुए इफको विदेश में भी अपने कार्य—व्यापार का विस्तार कर सकता है।

NAME AND ADDRESS

1. (i) The name of the Cooperative Society shall be the Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (hereinafter called IFFCO). Its registered office shall be at IFFCO Sadan, C-1, District Centre, Saket Place, New Delhi 110017. Its email address shall be coop@iffco.in;

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

- (ii) The Society shall have a Common Seal. The Common Seal shall be kept in the safe custody of the Officer authorized by the Board. The Common Seal shall not be affixed to any instrument except on the authority of a Resolution of the Board of Directors, or, of the Executive Committee of the Board constituted under Bye-law No.47 and except in the presence of any two Directors, who shall sign every instrument to which the Common Seal is affixed;
- (iii) IFFCO shall be a body corporate and shall have the power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, enter into contract, institute and defend suit and other legal proceedings and to do all things necessary for the purpose of furthering the interests of its members based on co-operative principles. IFFCO shall conduct its operations in a professional and commercial manner to ensure the social and economic development of its members and optimum returns to its members on their contributions in IFFCO.

AREA OF OPERATION

2. The area of operation of IFFCO shall extend to the whole of the Indian Union. In the interest of its members and its business, IFFCO may extend its operations beyond the Indian Union.

उद्देश्य

इफको का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों, जैव-उर्वरकों, पेट्रो-रसायनों का विनिर्माण / (क) 3. उत्पादन / विकास, औद्योगिक रसायनों तथा हाइड्रोकार्बनों, उनके आदानों व प्रौद्योगिकी तथा सम्बद्ध उत्पादों / उपोत्पादों की रिफाइनिंग तथा उनका रूपांतरण, भंडारण, परिवहन तथा विपणन करके; कृषि तथा वानिकी उत्पादों, जैव प्रौद्योगिकी, मत्स्यपालन तथा एक्वा फार्मिंग, कृषि मशीनरी व औजारों और अन्य कृषि आदानों / उत्पादों का विनिर्माण / प्रोसेसिंग / रूपांतरण करके और ट्रेडिंग, शिपिंग, परिवहन, संचार व दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, परम्परागत या गैर-परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करना व उसका वितरण करना, हाउसिंग, रियल इस्टेट, निर्माण, बैंकिग और बीमा, ई-कॉमर्स, वेंचर कैपिटल निधि, तकनीकी / विपणन / वित्तीय और अन्य सेवाएं, किसी भी प्रकार का आर्थिक क्षेत्र एवं सहकारिताओं के लिए क्रेडिट रेटिंग आरंभ करके तथा इनसे प्रासंगिक और सहायक कार्यकलापों को हाथ में लेकर अपने सदस्यों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए स्वयं-सेवा और पारस्परिक सहयोग के माध्यम से अपने कार्यकलाप व्यावसायिक, लोकतांत्रिक और स्वायत्त आधार पर निष्पादित करना होगा।

(यह संशोधन तारीख 3 जून 2015 के पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या एफ. नं. एल— 11015/8/75— एल एण्ड एम (खण्ड—V) के द्वारा पंजीकृत किया गया [सातवां संशोधन आठवें संस्करण में सम्मिलित किया गया] और इसके बाद यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या एफ.न. एल—11015/8/75— एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- (ख) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इफको निम्नलिखित कोई एक या एक से अधिक कार्य कर सकता है, जिनका संकेत मात्र किया गया है और यह इसकी अंतिम सीमा नहीं है:
 - (i) रासायनिक उर्वरकों और उनसे सम्बद्ध उत्पाद / उपोत्पाद के उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक कारखानों की स्थापना करना:

OBJECTS

The objects of IFFCO shall be to promote the economic interest of 3. (a) its members by conducting its affairs in professional, democratic and autonomous manner through self help and mutual cooperation for undertaking manufacture/production/development of chemical fertilisers, bio-fertilisers, petrochemicals, refining industrial chemicals, and hydrocarbons, their inputs & technologies, and allied products/ bye-products and conversion, storage, transportation and marketing; undertaking manufacture/processing/conversion of farm and forestry products, bio-technology, pisciculture and acqua-farming, agriculture machinery and implements and other agricultural inputs/outputs and their conversion, storage, transportation and marketing and undertake trading, shipping, transportation, communication and telecommunication, information technology, power generation and distribution from conventional or non-conventional energy sources, housing, real estate, construction, banking and insurance, e-Commerce, venture capital Fund, technical/marketing/financial and other services, economic zones of any kind, Credit Rating of Cooperatives and to undertake such other activities which are conducive and incidental thereto.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No.F.No.L-11015/8/75-L&M(Vol.V) dated 3rd June, 2015) [Seventh amendment incorporated in 8th edition] and subsequent amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

- (b) In furtherance of above objects, IFFCO may undertake one or more of the following activities which are indicative but not limited to:
 - (i) to set up Plant or Plants for manufacture of chemical fertilisers and allied products/bye-products;

- (ii) कीटनाशक दवाओं, बीजों, कृषि कार्यों में प्रयुक्त मशीनरी और औजारों तथा कृषि संबंधी अन्य आवश्यक साज—सामान का उत्पादन/प्रोसेसिंग तथा विनिर्माण करने के लिए स्वयं अथवा अन्य सहकारी संस्थाओं / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य अभिकरणों के सहयोग से या संयुक्त उद्यम के रूप में उत्पादन इकाइयां स्थापित करना या पट्टे पर लेना;
- (iii) इफको के व्यापार की सुविधा के लिए कारखाने, टाउनशिप, सम्पदा, रेल साइडिंग, रेल यार्ड, कुएं, जलाशय और नालियां, पम्प, सफाई करने वाले संयंत्र और पाइप लाइन, गाड़ियां, भंडारण स्थान और सभी प्रकार के आवास का अधिग्रहण करना, स्थापित करना, निर्माण करना, उपलब्ध कराना और देख—भाल करना और उनका प्रबन्ध करना;
- (iv) ऐसी सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन, भंडारण, रख—रखाव, क्रय—विक्रय, मरम्मत, तब्दीली करना और विनिमय करना, उन्हें किराये पर लेना या देना, उनका निर्यात, आयात करना और व्यापार करना जिनकी इफको के किसी भी व्यापार के प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या जिनकी ऐसे किसी व्यापार में लगे व्यक्तियों द्वारा सामान्यतः पूर्ति की जाती हो या जिनका व्यापार किया जाता हो या जो इफको के किसी भी व्यापार के संबंध में लाभदायक दिखाई देती हो;
- (v) मालगोदाम अधिनियम के अंतर्गत मालगोदाम अभिकरण के रूप में कार्य करना और मालगोदामों को अपने स्वामित्व में लेना, उर्वरकों तथा अन्य सामान के भंडारण के लिए अपने मालगोदामों का निर्माण करना अथवा मालगोदाम किराये पर लेना:
- (vi) उर्वरकों व अन्य सामान के भंडारण के लिए स्वयं अथवा अन्य सहकारी संस्थाओं या किन्हीं एजेंसियों के सहयोग से भंडारण इकाइयां स्थापित करना;
- (vii) सड़क मार्ग से अथवा समुद्री मार्ग से सामग्री के परिवहन के लिए स्वयं अपनी अथवा किसी भारतीय या विदेशी एजेंसी के सहयोग से परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना;
- (viii) इफको के कारोबार के लिए भूमि, भवनों, फिक्सचर्स और वाहनों का अधिग्रहण करना, उन्हें पट्टे अथवा किराए पर लेना, उनका विक्रय करना अथवा किराए / पट्टे पर देना;

- (ii) to undertake production, processing and manufacture of insecticides, pesticides, seeds, agricultural machinery and implements and other agricultural production requisites by setting up or taking on lease manufacturing units either directly or in collaboration with or as joint venture with other Cooperative Institution/Public Sector Enterprise or any other agency;
- (iii) to acquire, establish, construct, provide and maintain and administer factories, townships, estates, railway sidings, build yards, wells, water reservoirs, channels, pumping installations, purification plants, pipe lines, carriages, storage sheds and accommodation of all descriptions for facilitating the business of IFFCO;
- (iv) to manufacture, store, maintain, sell, buy, repair, alter, exchange, let on hire, export, import and deal in all kinds of articles and things which may be required for the purpose of any of the business of IFFCO or are commonly supplied or dealt in by persons engaged in any such business or which may seem capable of being profitably dealt in connection with any of the business of IFFCO;
- to act as warehousing agency under the Warehousing Act and own and construct its own godowns or hire godowns for the storage of fertilisers and other goods;
- (vi) to set up storage units for storing fertilisers and other goods by itself or in collaboration with any other Cooperative Institution or any other agency;
- (vii) to maintain transport units of its own or in collaboration with any other organisation in India or abroad for movement of goods by land and sea etc:
- (viii) to acquire, take on lease or hire land, buildings, fixtures and vehicles and to sell give on lease or hire them for the business of IFFCO:

- (ix) उर्वरकों और कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले अन्य आवश्यक सामान के विनिर्माण, उत्पादन व विपणन तथा कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अन्य सहकारी समितियों का प्रवर्तन करना तथा उनका संयोजन करना:
- (x) सहकारी और अन्य संस्थाओं की शेयर-पूंजी में अभिदान करना;
- (xi) कच्चे माल, सहायक उत्पाद, पैकिंग सामान, तैयार माल, उपोत्पादों और अवशेष पदार्थों के क्रय, उत्पादन, विनिर्माण तथा विपणन के लिए अन्य सहकारी संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य एजेंसियों के साथ करार एवं सहयोग—करार करना तथा उनके साथ संयुक्त रूप से उत्पादों के विपणन, उत्पाद—विनिमय के लिए करार करना;
- (xii) उर्वरक, रसायन तथा अन्य संयंत्रों के लिए; और उनके उत्पादों के विपणन के लिए मशीनरी और उपस्कर तथा तकनीकी जानकारी, परामर्श सेवाओं, डिजाइन, इंजीनियरी, निर्माण, संरचना, प्रचालन और रख—रखाव के लिए भारत या विदेशों में स्थित सहकारी या अन्य संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना;
- (xiii) सदस्य समितियों तथा अन्य अभिकरणों को तकनीकी परामर्शदायी एवं अन्य सेवाएं प्रदान करना;
- (xiv) कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी संस्थाओं और प्राइवेट एजेंसियों से भूमि खरीद कर, अधिग्रहण कर अथवा पट्टे पर लेकर कृषि फार्मों की स्थापना करना;
- (xv) कृषकों तथा अन्य व्यक्तियों को कृषि संबंधी आधुनिक और परिष्कृत कृषि तकनीकों तथा मानव संसाधन विकास से संबंधित अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान स्थापित करना;
- (xvi) उर्वरकों तथा कृषि कार्य में प्रयुक्त अन्य आवश्यक सामान जिनमें इफको का हित निहित है, की बिक्री बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना;

- (ix) to promote and organise other Cooperative Societies in the field of manufacturing, production and marketing of fertilisers and other agricultural production requisites and agriculture and rural development;
- (x) to subscribe to the shares of Cooperative and other Institutions;
- (xi) to enter into contracts and collaboration for purchases, production, manufacture and marketing of raw materials, auxiliary products, packing materials, finished products, byeproducts and other waste products and also enter into joint marketing and product exchange agreements with other Cooperative Institutions, Public Sector Undertakings or any other agency;
- (xii) to enter into collaboration with Cooperatives or others in India or in foreign countries for machinery and equipment, and for technical know-how, consultancy, designing, engineering, construction, erection, operation and maintenance of fertiliser, chemical and other Plants; and marketing of the produce of the same;
- (xiii) to provide technical consultancy and other services to member societies and other agencies;
- (xiv) to set up agricultural farms by purchasing, acquiring and taking on lease of land from Government Institution and private agency for research and development of agriculture;
- (xv) to set up institutes for providing training to the farmers and others in the modern and improved agricultural technology and other areas of Human Resource Development;
- (xvi) to provide and arrange for the training of employees of the Cooperative Societies to promote and develop the sales of fertiliser and other agricultural production requisites in which IFFCO is interested:

- (xvii) कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्रासंगिक एवं सहायक कार्यों को हाथ में लेना;
- (xviii) भारत और विदेशों में शाखा कार्यालयों तथा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करना;
- (xix) इफको के व्यवसाय के संबंध में सभी प्रकार के एजेंट के रूप में कार्य करना;
- (xx) अनुसंधान कार्यक्रम एवं अन्य ऐसे उपयोगी कार्यक्रम हाथ में लेना, जो उद्योग और इफको के विकास के लिए सहायक और अनुरूप हों;
- (xxi) कृषि उत्पादों, रसायनों, कीटनाशक दवाइयों, उपकरणों, कृषि संबंधी औजारों व मशीनों का संसाधन, विपणन, आयात व निर्यात करना;
- (xxii) वन लगाना व वन्य उत्पादों का संसाधन व विपणन करना;
- (xxiii) राष्ट्रीय महत्व के अथवा विकास की संभावना वाले उद्योग स्थापित करना;
- (xxiv) उपकरणों, औजारों, मशीनों का विनिर्माण व विपणन करना;
- (xxv) बायो-तकनीक पर आधारित उद्योग लगाना;
- (xxvi) ग्रामीण व शहरी इलाकों में जमीन—जायदाद खरीदना तथा कर्मचारियों व सदस्यों के लिए सहकारी आवास की व्यवस्था करना;
- (xxvii) ऐसे अन्य कार्य करना, जो इफको के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक और सहायक हों;

- (xvii) to take up such other activities which are incidental and conducive to the agriculture and rural development;
- (xviii) to establish Branch Offices and Sales Depots in India and abroad;
- (xix) to carry on agency business of every kind and description connected with the business of IFFCO;
- (xx) to undertake research and such other activities as are incidental and conducive to the development of the industry as well as IFFCO;
- (xxi) to undertake processing, marketing, import and export of farm outputs, chemicals, pesticides, implements, agricultural tools and machinery;
- (xxii) to set up forestry and undertake processing and marketing of forestry products;
- (xxiii) to undertake setting up of industries having national importance or growth potential;
- (xxiv) to organise manufacture and marketing of implements, tools and machinery;
- (xxv) to organise bio-technology based industries;
- (xxvi) to acquire real estates in rural and urban areas and also promote Cooperative Housing for employees and members;
- (xxvii) to undertake such other activities as are conducive or incidental to the attainment of main objects of IFFCO;

- (xxviii) सीमेंट, चीनी, पेट्रो—रसायन (हाथ से बने रेशे शामिल हैं), इलेक्ट्रॉनिक सामान, उपग्रह, विशेष व मिश्रित इस्पात के विनिर्माण के लिए इकाई / इकाइयों को स्वामित्व में लेना, स्थापित करना तथा उनके उत्पादों की बिक्री का प्रबंध करना:
- (xxix) इफको के लक्ष्यों को विस्तार देने के प्रयोजन के लिए सहायक संस्थाओं को प्रवर्तित करना:
- (ग) इफको निम्नलिखित के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा :
- (i) अपने कार्यों को व्यावसायिक प्रबंधन के अनुरूप निष्पादित करना;
- (ii) सहकारी समितियों से इक्विटी में अंशदान प्राप्त करके और उन्हें अपने कारोबार में भागीदारी कराके उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना:
- (iii) सिमिति को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने, अपने सदस्यों के आर्थिक विकास और अधिक स्वायत्त कार्यचालन के प्रयोजन से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) के प्रावधानों का पूर्ण रूपेण कार्यान्वयन।

सदस्यता

- 4. वैयक्तिक स्तर पर कोई भी इफको की सदस्यता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। इफको की सदस्यता निम्नलिखित संस्थाएं प्राप्त कर सकती हैं:
 - (i) राष्ट्रीय स्तर के कृषि साख/विपणन/प्रोसेसिंग/सप्लाई सहकारी महासंघ और अन्य कृषि सहकारी समितियाँ;
 - (ii) राज्य स्तर के कृषि साख / विपणन / प्रोसेसिंग / सप्लाई सहकारी महासंघ और अन्य कृषि सहकारी समितियाँ;
 - (iii) जिला, क्षेत्र और प्राथमिक स्तर की सहकारी साख/विपणन/प्रोसेसिंग/सप्लाई समितियां और अन्य कृषि सहकारी समितियां जिनमें गन्ना यूनियनें भी शामिल हैं;

- (xxviii) to own, set up unit/units for manufacture of cement, sugar, petro-chemicals (including man-made fibres), electronic items, satellites, special and alloy steel and organise marketing of products thereof;
- (xxix) to promote subsidiary institutions for the purpose of furthering the objects of IFFCO.
- (c) IFFCO shall take all steps necessary to:
 - (i) conduct its affairs with Professional Management;
 - (ii) solicit participation of the Cooperative Societies in terms of contribution to equity and participation in the Business;
 - (iii) give effect to the provisions in letter and in spirit of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 (hereinafter referred to as "the Act") to ensure democratic functioning of the Society, economic betterment of members and for greater functional autonomy.

MEMBERSHIP

- 4. No individual shall be eligible for membership of IFFCO. The membership of IFFCO will be open to the following:
 - (i) National Cooperative Federations of agricultural credit/marketing/ processing/supply and other agricultural cooperative societies;
 - (ii) State Level Cooperative Federations of agricultural credit/marketing/ processing/supply and other agricultural cooperative societies;
 - (iii) District, Regional and Primary Cooperative credit/marketing/processing/ supply and other agricultural cooperative societies including Cane Unions;

- (iv) प्राथमिक कृषि सहकारी साख, सेवा, बहु—उद्देशीय, गन्ना, सिंचाई, कृषि समितियाँ और अन्य ग्राम कृषि समितियाँ;
- (v) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम;
- (vi) भारत सरकार, इफको के निदेशक मंडल/आम सभा की अपेक्षाओं और अनुरोध के अनुरूप;
- (vii) सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, इफको के निदेशक मंडल / आम सभा की अपेक्षाओं और अनुरोध के अनुरूप;
- (viii) कोई भी सहकारी समिति, जिसके कार्यकलाप इफको की गतिविधियों का संवर्धन करने एवं इसके समग्र विकास में सहायक हों।

शेयर पूंजी

- इफको की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 1000 करोड़ होगी, जिसमें निम्नलिखित तीन श्रेणियों के शेयर होंगे :
 - (i) ₹ 1 लाख प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 90,000 शेयर, जो कि सामान्यतः भारत सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीय राज्य / क्षेत्रीय स्तर के महासंघों और बड़ी—बड़ी सहकारी प्रोसेसिंग समितियों जैसे सहकारी चीनी मिलें, सहकारी गन्ना यूनियन, जिला एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा स्वेच्छा से अंश लेने की इच्छुक केन्द्रीय व अन्य सहकारी समितियों आदि को आवंटित किये जाएंगे;
 - (ii) ₹ 10 हजार प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 50,000 शेयर, जो कि सामान्यतः जिला और प्राथमिक स्तर की विपणन / प्रोसेसिंग / सप्लाई सहकारी समितियों और अन्य सहकारी समितियों को आवंटित किये जाएंगे, जिसमें गन्ना यूनियनें भी शामिल हैं;
 - (iii) ₹ 1 हजार प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 5,00,000 शेयर, जो सामान्यतः ग्राम स्तर की प्राथमिक सहकारी समितियों को आवंटित किये जायेंगे।

- (iv) Primary Agricultural Cooperative credit, service, multi-purpose, cane, irrigation, farming societies and other village agricultural societies;
- (v) National Cooperative Development Corporation;
- (vi) Govt. of India, to the extent that the Board/General Body of IFFCO require and request;
- (vii) Public Financing Institutions to the extent required/requested by the Board/General Body of IFFCO;
- (viii) Any cooperative society activities of which are augmentative to the activities and conducive to overall growth of IFFCO.

SHARE CAPITAL

- 5. The authorised share capital of IFFCO shall be ₹ 1000 crore made up of the following three categories of shares:
 - (i) 90,000 shares with face value of ₹ 1.00 lakh each to be allotted generally to the Government of India, the National Cooperative Development Corporation, Public Financing Institutions, National/ State/Regional Federations and large Processing Cooperatives such as Cooperative Sugar Mills, Cooperative Cane Unions, District and Central Cooperative Banks, and Central/other Cooperative societies, as are willing to subscribe to the shares voluntarily;
 - (ii) 50,000 shares with face value of ₹ 10,000 each to be allotted generally to District and Primary Marketing/Processing/Supply and other Cooperative Societies including Cane Unions;
 - (iii) 5,00,000 shares with face value of ₹1,000 each to be allotted generally to Primary Societies at the village level.

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त उप खण्ड (i) में उल्लिखित सहकारी समितियाँ, जिन्होंने ₹ 1 लाख का कम से कम एक शेयर खरीद लिया है और उप—खण्ड (ii) में उल्लिखित सहकारी समितियाँ जिन्होंने ₹ 10,000 का कम से कम एक शेयर खरीद लिया है, इसके साथ—साथ कम मूल्य के शेयर भी खरीद सकती हैं।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि उपर्युक्त उप खण्ड (ii) और (iii) में उल्लिखित सहकारी समितियाँ, अधिक मूल्य के शेयर भी खरीद सकती हैं।

- 6. इफको, त्रैमासिक आधार पर गैर—सरकारी सदस्यों यथा भारत सरकार और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित शेयरों को, इफको में सहकारी सदस्यों की अधिकाधिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने के लिए इफको की इक्विटी में उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक वापस कर सकता है।
- 7. शेयर (शेयरों) के मूल्य का भुगतान एकमुश्त या इन उप—िनयमों के अनुसार किश्तों में किया जा सकता है। इफको के शेयर, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अंकित मूल्य पर आवंटित, अंतरित, विमोचित और / या प्रत्यावर्तित किये जाएंगे।
- 8. प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक शेयर का अभिदान करना होगा। तथापि, सदस्यों को यह अधिकार केवल तभी प्राप्त होगा जबिक वे निदेशक मंडल द्वारा समय—समय पर निर्धारित इफको की सेवाओं व उत्पादों या कारोबार का न्यूनतम स्तर तक (इसके बाद 'न्यूनतम व्यवसाय' कहा जाएगा) उपयोग करते हैं। न्यूनतम स्तर तक कारोबार के लिए सभी राज्यों के सदस्यों को प्रति वर्ष कम से कम 100 टन इफको उर्वरकों (पहाड़ी और उत्तर—पूर्वी राज्यों के लिए 50 टन) अथवा उसके समतुल्य इफको की सेवाओं / उत्पादों की बिक्री करनी होगी।

कोई भी सदस्य अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक शेयर धारित नहीं कर सकेगा।

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- 9. भारत सरकार और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को छोड़कर, शेष प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित प्रवेश शुल्क अदा करेगा;
 - (i) ग्राम स्तर की समितियाँ ₹ 25 / प्रति समिति; और

Provided that the societies mentioned in Sub-Clause (i) which have taken at least one share of ₹ 1 lakh and societies mentioned in Sub-Clause (ii) which have taken at least one share of ₹ 10,000/- are eligible to take shares of lower denomination as well.

Provided also that societies mentioned in Sub-Clause (ii) and (iii) are eligible for the allotment of higher denomination shares.

- 6. IFFCO shall quarterly retire the shares held by the non-co-operative members like Government of India, and Public Financing Institutions to the extent that the cooperative members subscribe to the equity of IFFCO in order to facilitate greater participation and representation of cooperative members in IFFCO.
- 7. The value of share(s) may be paid in one lumpsum or in instalments as specified in these Bye-Laws. Shares of IFFCO shall be allotted, transferred, redeemed and/or repatriated at face value as per provisions of the Act.
- 8. Every member shall subscribe to at least one share. However, the rights of the members will only be available if they achieve the basic minimum level of utilization of the services/products or the business of IFFCO (hereinafter called 'Minimum Business'), as may be determined by the Board from time to time, which shall be minimum hundred tonnes (fifty tonnes for hilly and North-Eastern States) of sales of IFFCO fertilisers per year for all the States or equivalent value of products and services of IFFCO.

No member shall hold more than such portion of shares as may be prescribed in terms of Section 33 of the Act.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

- 9. Every member, excepting the Government of India and the National Cooperative Development Corporation, shall pay an admission fee as specified;
 - (i) Village societies ₹ 25/- each; and

- (ii) अन्य समितियाँ ₹ 100 / प्रति समिति
- 10. (क) आवंटित किए गए प्रत्येक शेयर या शेयरों के लिए एक शेयर प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जारी किया जाएगा, जिस पर शेयर का विशिष्ट (डिस्टिंक्ट) क्रमांक होगा और इफको में रखा जाएगा जिसे मूल शेयर प्रमाण पत्र माना जाएगा।
 - (ख) किसी सदस्य द्वारा धारित शेयरों के बारे में सूचना संबंधित सदस्य समिति को भौतिक / इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी जाएगी।

(यह संशोधन तारीख 4 जुलाई 2014 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एल —11015/8/75—एल एंड एम(खंड —IV)के द्वारा पंजीकृत किया गया) [छठा संशोधन सातवें संस्करण में सम्मिलित किया गया] और इसके बाद यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं० एफ. नं. एल — 11015/8/75—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया। [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

सदस्यता एवं शेयरों के आवंटन के लिए आवेदन—पत्र

- 11. इफको की सदस्यता के लिए इफको द्वारा इस प्रयोजन के लिए यदि कोई फार्म निर्धारित किया गया हो, तो उसी फार्म में प्रबंध निदेशक को आवेदन किया जाएगा।
- 12. आवेदक द्वारा खरीदे जाने वाले शेयरों के मूल्य की कम से कम 25 प्रतिशत राशि और प्रवेश शुल्क की राशि आवेदन के साथ अदा करनी होगी।
- 13. सदस्यता के प्रत्येक आवेदन पत्र का निपटान निदेशक मंडल द्वारा आवेदन प्राप्ति की तारीख से चार महीनों की अविध में किया जाएगा। निदेशक मंडल को इसकी अनुमित देने या इन्कार करने का अधिकार होगा। इन्कार कर दिये जाने की स्थिति में, इन्कार करने के कारण रिकार्ड किए जाएंगे और इसकी सूचना पन्द्रह दिन के भीतर आवेदक को दी जाएगी।

बशर्त, यदि आवेदन पर उपर्युक्त अविध के भीतर निर्णय न लिया गया हो या विनिर्दिष्ट अविध के भीतर आवेदक को निर्णय से सूचित न किया गया हो तो चार महीनों की समाप्ति के बाद यह मान लिया जाएगा कि निदेशक मंडल ने आवेदक को प्रवेश देने से मना करने का निर्णय कर लिया है।

- (ii) Other societies ₹ 100/- each.
- 10 (a) A share certificate in electronic form, bearing a distinct number shall be issued for every share or shares allotted and maintained with IFFCO, which shall be considered as the original share certificate.
 - (b) A communication about the shares held by a member shall be given in Physical/Electronic form to the concerned member-society.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No.L-11015/8/75-L&M (Vol.IV) dated 4th July, 2014) [Sixth amendment incorporated in 7th edition] and subsequent amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

APPLICATION FOR ADMISSION AND ALLOTMENT OF SHARES

- 11. Application for admission as a member of IFFCO shall be made to the Managing Director in the form, if any, specified by IFFCO for the purpose.
- 12. At least twenty five per cent of the value of shares to be subscribed by the applicant and the admission fee shall be remitted alongwith the application.
- 13. Every application for membership shall be disposed off by the Board of Directors within a period of four months from the date of the receipt of the application who shall have power to grant or refuse admission. In case of refusal, reasons thereof shall be recorded and communicated to the applicant within fifteen days.

Provided that if the application is not disposed off within the aforesaid period or the decision is not communicated to the applicant within the period stipulated, the Board of Directors would be deemed to have taken a decision on the expiry of four months refusing admission to the applicant.

- 14. (i) निदेशक मंडल, सदस्यों द्वारा खरीदे गए शेयरों की बकाया राशि के बारे में, यथोचित ढंग से समय—समय पर मांग कर सकता है। प्रत्येक सदस्य को मांग की सूचना में उल्लिखित अविध के भीतर राशि अदा करनी होगी;
 - (ii) यदि कोई सदस्य मांग की सूचना में उल्लिखित अवधि के भीतर राशि जमा करने में असफल रहता है तो इफको उस सदस्य को दूसरी सूचना जारी करके यह सूचित करेगी कि यदि इस सूचना के तीस दिन के भीतर वह राशि अदा न कर पाया तो इफको उन शेयरों को जब्त कर सकती है, जिनके बारे में सूचना जारी की गई थी:
 - (iii) यदि वह सदस्य उपर्युक्त दूसरी सूचना में उल्लिखित समय के भीतर भी मांगी गई राशि अदा नहीं करता तो निदेशक मंडल संकल्प पारित करके उन शेयरों को जब्त कर सकता है, जिनके बारे में सूचना जारी की गई थी;
 - (iv) जब्त किया गया प्रत्येक शेयर इफको की सम्पत्ति होगा और निदेशक मंडल किसी भी समय यथोचित ढंग से इसे बेच सकता है या आवंटित कर सकता है या जैसे चाहे इसका निपटान कर सकता है। लेकिन इस प्रकार जब्त किए गए शेयरों का निपटान करने से पहले निदेशक मंडल कभी भी यथोचित शर्तों पर इन शेयरों की जब्ती को रद्द कर सकता है।
- 15. सदस्य, निदेशक मंडल की अनुमित से अपने शेयर किसी अन्य सदस्य को या किसी ऐसे गैर—सदस्य को हस्तांतिरत कर सकता है, जो इफको की सदस्यता का पात्र है। इस प्रकार के अन्तरण के लिए इफको को ₹ 10 / प्रति शेयर की दर से शुल्क देय होगा।

लेकिन निम्नलिखित मामलों में इस प्रकार का शेयर हस्तांतरण-शुल्क नहीं लिया जाएगा :

- (i) जहां शीर्षस्थ विपणन महासंघ कम मूल्य के अपने शेयर किसी अन्य सहकारी समिति को हस्तांतरित करते हैं;
- (ii) जहां परिसमाप्त, विलयित या विभक्त समितियां अपने शेयर किसी अन्य सहकारी समिति को हस्तांतरित करती हैं; अथवा
- (iii) जहां समितियों के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर इफको की पिछली बकाया राशि चुकाने के उद्देश्य से किसी अन्य सहकारी समितियों को हस्तांतरित किए जाएं।

- 14. (i) The Board may, from time to time, make such call or calls, as it may deem fit, in respect of the amounts remaining unpaid on the shares held by the members. Every member shall pay such call money within the period mentioned in the call notice;
 - (ii) If a member fails to pay the amount within the period specified in the call notice, IFFCO shall issue another notice informing the member that in the event of non-payment of call money within 30 days of the notice, the shares in respect of which such notice, is issued, will be liable to be forfeited to IFFCO:
 - (iii) If a member does not pay the call amount even within the time specified in the second notice aforesaid, the Board of Directors may, by a resolution, order the forfeiture of the shares in respect of which the notice was issued:
 - (iv) Every forfeited share shall be the property of IFFCO, and may, at any time, be sold or allotted or otherwise disposed off in such manner as the Board may think fit. Provided, however, that at any time before the disposal of the shares, the Board may cancel such forfeitures on such terms and conditions as it thinks fit.
- 15. A member may, with the approval of the Board of Directors, transfer its shares to another member or to a non-member who is eligible for membership of IFFCO. A fee of ₹ 10/- per share shall be payable to IFFCO for each such transfer.

Provided that no such share transfer fee shall be levied in cases:

- (i) where Apex Marketing Federation transfers the lower denomination share taken by it to other societies;
- (ii) where the share of liquidated, amalgamated or divided societies are transferred to other societies; or
- (iii) where part-paid shares of societies are transferred to other societies for purposes of clearance of backlog of calls in arrears of IFFCO.

यह भी शर्त है कि सदस्य समिति का किसी गैर—सदस्य समिति में विलय अथवा किसी सदस्य समिति द्वारा गैर सदस्य समिति को शेयरों के अंतरण किए जाने की स्थिति में गैर सदस्य समिति अथवा विलय के परिणामस्वरूप बनी नयी समिति को इफको की सदस्यता स्वतः प्राप्त नहीं होगी। ऐसी गैर सदस्य समिति / विलयित समिति को इफको की सदस्यता लेने की प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा तथा सदस्यता के लिए इसमें यथाउल्लिखित तरीके से निदेशक मंडल के पास आवेदन करना होगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में सदस्यता की प्रभावी तारीख निदेशक मंडल द्वारा सदस्यता अनुमोदित किए जाने की तारीख मानी जाएगी तथा विलय होने अथवा शेयरों के अंतरण की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, से सदस्यता प्रभावी नहीं होगी।

(यह संशोधन तारीख 10 अगस्त, 2017 के पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या एफ. न. एल–11015/8/1975–एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [आठवां संशोधन नौवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- 16. निदेशक मंडल, सदस्य द्वारा आवेदन किए जाने परः
 - (i) सदस्य को आवंटित शेयर या उसका कोई भाग किसी अन्य मूल्य के शेयरों में परिवर्तित करने का अनुमोदन उन शर्तों पर कर सकता है जो निदेशक मंडल उचित समझे:
 - (ii) सदस्य को पहले से आवंटित/आंशिक रूप से प्रदत्त सभी या कुछ शेयरों को समेकित कर सकता है।

सदस्यता से वापसी, त्याग-पत्र और निष्कासन

- 17. किसी भी सदस्य को उसकी सदस्यता स्वीकृत होने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर उसके द्वारा खरीदे गए इफको के शेयरों में से कोई भी शेयर वापस करने या इफको की सदस्यता से त्याग—पत्र देने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 18. सदस्य का त्याग-पत्र इफको के प्रबंध निदेशक के नाम होना चाहिए और यह त्याग-पत्र निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा। तथापि, निदेशक मंडल को 4 माह के भीतर निर्णय की सूचना देनी होगी।
- 19. निम्नलिखित परिस्थितियों में इफको की सदस्य—समिति की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी, यदि :
 - (क) उसका पंजीकरण रद्द हो जाता है; या

Provided further that in the event of amalgamation of member society with a non-member society or transfer of shares by member society to a non-member society, the membership of IFFCO to the non-member society or new entity created upon amalgamation shall not be automatic. Such non-member society/amalgamated society must follow the process for admission and apply for membership to the Board as prescribed herein. It is made clear that effective date of membership in such cases shall be date of admission approved by Board and not from date of amalgamation or transfer of shares as the case may be.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No.L-11015/8/1975 - L& M dated 10th August 2017) [Eighth amendment incorporated in 9th edition]

- 16. The Board may, on application, by a Member:
 - approve conversion of shares allotted to it or a part thereof into those of other denominations subject to such conditions as the Board may decide to impose;
 - (ii) consolidate all or some of the partly paid shares already allotted to member.

WITHDRAWAL, RESIGNATION AND EXPULSION FROM MEMBERSHIP

- 17. No member shall be permitted to withdraw any of the shares held by it in IFFCO or to resign its membership of IFFCO within 5 years from the date on which it was admitted as a member.
- 18. The letter of resignation of a member shall be addressed to the Managing Director of IFFCO and such resignation shall take effect from the date on which the resignation is accepted by the Board of Directors. The decision of the Board shall be communicated within a period of four months.
- 19. A member society of IFFCO shall cease to be a member, if:
 - (a) its registration is cancelled; or

- (ख) वह अपने सभी शेयर किसी अन्य समिति को हस्तांतरित कर देती है; या
- (ग) आम-सभा उसे निष्कासित कर देती है; या
- (घ) जो अधिनियम की धारा 29 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, अधिनियम की धारा 29 में निर्दिष्ट 'न्यूनतम स्तर', उप—नियम 8 में परिभाषित न्यूनतम व्यवसाय होगा या

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

(ङ) सदस्य समिति का कारोबार इफको के कारोबार के साथ कोई टकराव या प्रतिस्पर्धा रखता हो; तथा वह किसी ऐसी सहकारी समिति, जिसके कारोबार का इफको के कारोबार के साथ कोई टकराव अथवा प्रतिस्पर्धा हो, की आम सभा / प्रतिनिधि महासभा / बोर्ड अथवा अन्य प्रशासनिक निकाय में प्रतिनिधित्व करती हो; या

(यह संशोधन तारीख 26 सितंबर 2013 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/75—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [पांचवां संशोधन छठे संस्करण में सम्मिलित किया गया, और इसके बाद यह संशोधन तारीख 3 जून 2015 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ. नं. एल — 11015/8/1975—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया। [सातवां संशोधन आठवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- (च) सदस्य, आम सभा की लगातार तीन बैठकों में भाग नहीं लेता और इस अनुपस्थिति के मामले को आम सभा की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से माफी न दे दी जाए; या
- (छ) सदस्य समिति द्वारा इफको के किसी भुगतान में चूक हुई है और इस तरह का भुगतान एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए देय रहा हो।
- ज) उपर्युक्त उप—अनुच्छेद (क) से (ग) के मामले में सदस्य की सदस्यता उसे कारण बताओं नोटिस दिये बिना स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, बशर्ते निदेशक मंडल द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाए।

(यह संशोधन तारीख 3 जून 2015 के पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या एफ.नं. एल—11015/8/75—एल एंड एम (खण्ड—V) के द्वारा पंजीकृत किया गया) [सातवां संशोधन आठवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- (b) it transfers all its shares to another society; or
- (c) it is expelled by the General Body; or
- (d) Is disqualified under section 29 of the Act. For this purpose, 'minimum level' referred to in section 29 of the Act shall be Minimum Business as defined in Bye-Law 8; or

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.N. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

(e) the business of the member is in conflict or competitive with the business of IFFCO or it represents on the General Body/Representative General Body/Board or any other Administrative Body of a cooperative society whose business is in conflict or competitive with the business of IFFCO; or

(Amendment registered vide certificate of Registration No. F. No. L-11015/8/75-L&M dated 26th September, 2013) [Fifth amendment incorporated in 6th edition] and subsequent amendment registered vide Certificate of Registration No.F.NO L-11015/8/1975 L&M dated 3rd June 2015 [Seventh amendment incorporated in 8th edition]

- (f) the member fails to be represented in three consecutive meetings of the General Body meetings and such absence has not been condoned by the majority of the members present and voting; or
- (g) the member is in default of any payments to IFFCO and such payments have been due and payable for a period of more than one year.
- (h) the cessation of membership in case of sub para (a) to (c) above will be automatic without serving any show cause notice to the member but subject to approval of the Board;

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M (Vol.V) dated 3rd June, 2015) [Seventh amendment incorporated in 8th edition]

(झ) उप अनुच्छेद (घ) से (छ) के अधीन आने वाले मामलों में निदेशक मंडल द्वारा सदस्यता समाप्ति का निर्णय संबंधित सदस्य को कारण बताओ नोटिस देने और सदस्य के जवाब पर विचार करने के बाद लिया जाएगा बशर्ते उपर्युक्त आधार पर अयोग्य होने वाले सदस्य का निष्कासन बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 2002 की धारा 30 के अनुसार हुआ हो।

(यह संशोधन तारीख 3 जून 2015 के पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या एफ. नं. एल-11015/8/75- एल एण्ड एम (खण्ड-V) के द्वारा पंजीकृत किया गया) [सातवां संशोधन आठवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

20. प्रत्येक सदस्य का यह दायित्व होगा कि वह इफको तथा इसके सदस्यों के हितों के अधिकाधिक पोषण के लिए कार्य करे; और किसी भी तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इफको के हितों के विरूद्ध कार्य न करे; यदि कोई सदस्य समिति और / या इसके प्रतिनिधि जानबूझ कर इफको के हितों के प्रतिकूल कोई कार्य करता है तो इफको की आम सभा को ऐसी सदस्य समिति को निष्कासित करने का अधिकार होगा, बशर्त उस सदस्य समिति को अपना पक्ष स्पष्ट करने का उचित अवसर दिया गया हो। आमसभा द्वारा निष्कासन लिम्बत होने तक इफको निदेशक मंडल आमसभा की अगली बैठक होने तक सदस्य सहकारी समिति को निलम्बित कर सकता है।

(यह संशोधन तारीख 3 जून 2015 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र संख्या एफ. नं. एल—11015/8/75—एल एण्ड एम (खंड V) के द्वारा पंजीकृत किया गया) [सातवां संशोधन आठवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

उत्तरदायित्व

21. इफको के परिसमापन की अवस्था में, इफको की परिसम्पत्तियों में किसी कमी को पूरा करने के लिए, इफको के सदस्यों का दायित्व अप्रदत्त राशि सहित उनकी शेयर होल्डिंग तक सीमित होगा।

निधियां

- 22. इफको निम्नलिखित किसी एक या एक से अधिक स्रोतों से निधि एकत्र कर सकता है:
 - (i) प्रवेश शुल्क;
 - (ii) शेयर पूंजी;

(i) The cessation of membership in respect of cases falling under sub para (d) to (g) will be decided by the Board after giving a show cause notice to member concerned and considering the reply of member. Provided that expulsion of the member becoming ineligible on the above grounds shall be as per Section 30 of the MSCS Act, 2002.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M (Vol. V) dated 3rd June, 2015) [Seventh amendment incorporated in 8th edition]

20. It shall be the duty of each member to work for and further the interest of IFFCO and its members; and in no way directly or indirectly act against the interest of IFFCO. If a member society and/or its representative does any act prejudicial to the interest of the IFFCO, it shall be open to the General Body of IFFCO to expel such member society provided, however, such member society has been given a reasonable opportunity of being heard; pending expulsion by the General Body, the Board of Directors of IFFCO may suspend a member cooperative till the next General Body Meeting.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No.F.No L-11015/8/75-L&M (Vol.V) dated 3rd June, 2015) [Seventh amendment incorporated in 8th edition]

LIABILITY

21. The liability of the members of IFFCO for meeting any deficit in the assets of IFFCO in the event of its being wound up, shall be limited to the extent of their share holdings including unpaid amount.

FUNDS

- 22. IFFCO may raise funds from one or more of the following sources:
 - (i) Admission fee;
 - (ii) Share capital;

- (iii) ऋण और जमा राशियां देश और विदेशों से;
- (iv) डिबेंचर्स, बाँड्स तथा कमर्शियल पेपर्स देश और विदेशों से;
- (v) सहायतार्थ अनुदान व दान; और
- (vi) लाभ

अधिकतम ऋण सीमा

23. इफको सदस्यों तथा अन्य संस्थाओं से अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी तथा संचित निधियों के योग में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित गुणकों की सीमा तक जमा राशियां एवं ऋण प्राप्त कर सकता है।

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल— 11015/8/75—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

आम सभा

- 24. इफको की एक प्रतिनिधि महासभा होगी (इसके बाद जिसे आम सभा कहा गया है) तथा यह आम सभा के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगे :
 - (i) निदेशक मंडल के सदस्य;
 - (ii) इफको की शेयर पूंजी में ₹ 10 लाख अथवा इससे अधिक मूल्य के शेयर रखने वाले प्रत्येक सदस्य का एक डायरेक्ट प्रतिनिधि। ऐसा प्रतिनिधि समय—समय पर यथासंशोधित और लागू बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम / नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा बशर्ते:
 - (क) ऐसे डायरेक्ट प्रतिनिधियों की संख्या, 24(i) के तहत आने वाले प्रतिनिधियों सहित, 800 से अधिक नहीं होगी:

- (iii) Loans and deposits within India and abroad;
- (iv) Debentures, Bonds and Commercial Papers within India and abroad;
- (v) Grants-in-aid and donations; and
- (vi) Profit.

MAXIMUM BORROWING LIMIT

23. IFFCO shall be eligible to receive deposits and loans from members and others up to such multiple as may be determined by the central government, of its paid-up share capital and accumulated reserves.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

GENERAL BODY

- 24. There shall be a Representative General Body (hereinafter called the General Body) and it shall exercise all the powers of the General Body, consisting of :
 - (i) Members of the Board of Directors;
 - (ii) One DIRECT Delegate from each Member who has contributed ₹10 lakh or more to the share capital of IFFCO. Such delegate shall be as per the provisions of the Multi-State Cooperative Societies Act/ Rules as amended and applicable from time to time; subject to the conditions that :
 - a) the number of such DIRECT Delegates, including the delegates as at 24(i) shall not exceed 800;

- ख) प्रत्येक राज्य / संघ शासित क्षेत्र में डायरेक्ट पात्र प्रतिनिधियों की संख्या उस राज्य / संघ शासित क्षेत्र की भारित औसत बिक्री प्रतिशत तथा औसत शेयरपूंजी अंशदान के आधार पर निर्धारित की जाएगी:
- ग) यदि किसी राज्य / संघ शासित क्षेत्र से डायरेक्ट पात्र प्रतिनिधियों की संख्या उपर्युक्त 24(ii) (ख) के अनुसार भारित औसत बिक्री तथा औसत शेयरपूंजी अंशदान के आधार पर निर्धारित 'पात्र प्रतिनिधियों' की संख्या से कम है तो उस राज्य / संघ शासित क्षेत्र के शेष अपेक्षित रिक्त स्थानों को उसी राज्य / संघ शासित क्षेत्र की उन समितियों के प्रतिनिधियों में से निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा, जिन्होंने ₹ 1 लाख तथा इससे अधिक परन्तु ₹ 10 लाख से कम का अंशदान किया है;
- घ) प्रत्येक प्रतिनिधि महासभा के पुनर्गठन से पूर्व उपर्युक्त 24(ii)(ग) के अनुसरण में हुई रिक्तियों की समीक्षा की जाएगी तथा ऐसा करते समय 24(i) के तहत आने वाले प्रतिनिधियों, 24(ii) के तहत आने वाले डायरेक्ट प्रतिनिधियों, प्रत्येक राज्य / संघ शासित क्षेत्र द्वारा उस अवधि के दौरान की गई भारित औसत बिक्री तथा औसत शेयर पूंजी अंशदान को हिसाब में लिया जाएगा तथा; निर्वाचन केवल उपनियम 24(ii)(ग) के अनुसार निर्धारित रिक्तियों के लिए ही होगा;
- (ङ) यदि किसी राज्य / संघ शासित क्षेत्र में डायरेक्ट पात्र प्रतिनिधियों की संख्या उपर्युक्त खण्ड 24(ii)(ख) के अनुसार प्रतिनिधियों की निर्धारित संख्या के बराबर हो जाती है / को पार कर जाती है तो उसके बाद के खण्ड 24(ii)(ग) और 24(ii) (घ) अनावश्यक हो जाएंगे तथा उस राज्य में निष्प्रभावी हो जाएंगे; और इसके बाद उस राज्य / संघ शासित क्षेत्र की ऐसी समितियों जिन्होंने शेयर पूंजी में ₹ 1 लाख अथवा इससे अधिक लेकिन ₹ 10 लाख से कम का अंशदान किया है, के प्रतिनिधि उपनियम संख्या 24(iii) के तहत आने वाली समितियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे:
- (च) यदि उपनियम 24(ii) के अनुसार कवर होने वाली सदस्य समितियों की संख्या राज्य/संघ शासित क्षेत्र में बिक्री के भारित औसत तथा इक्विटी अंशदान के आधार पर प्रतिनिधियों की निर्धारित संख्या से अधिक हो जाती है तो उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सदस्य समितियों के प्रतिनिधि अपने में से अपेक्षित प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगे:

- the entitled number of DIRECT Delegates in each State/Union Territory will be decided on the basis of the percent weighted average sales and average share capital contribution in that State/UT;
- c) in case the actual number of Direct Delegates from any State/Union Territory is less than the entitled number of delegates calculated on the basis of weightage of average sales and average share capital contribution as per 24(ii)(b) above, the balance required positions of delegates of that State/UT will be filled up through elections from amongst the representatives of the societies who have contributed share capital of ₹ 1 lakh or more but less than ₹ 10 lakh from that particular State/UT;
- d) such vacancies as per 24(ii)(c) above will be reviewed before the reconstitution of each Representative General Body taking into account the delegates as per 24(i), the number of Direct Delegates as per 24(ii), weighted average sales and average share capital contribution during that period for each State/UT; and the elections will take place only for the vacancies calculated as per bye-law 24(ii)(c);
- e) once the number of Direct Delegates in a State/UT reaches/ crosses the required entitled number of Delegates calculated as per above clause 24(ii)(b), the subsequent clauses 24(ii)(c) and 24(ii)(d) will become redundant and will not be operative in that State; and thereafter the representatives of the societies of that State/UT who have contributed share capital of ₹ 1 lakh or more but less than ₹ 10 lakh from that State would join the category of societies as covered under Bye law No.24(iii);
- f) if the number of member societies covered as per bye-law 24(ii) exceeds the number of entitled delegates calculated on the basis of the weighted average of the sales and the equity contribution in a State/UT, the representatives of the member societies from that State/UT will elect from amongst themselves the required number of entitled Delegates;

- (छ) उपर्युक्त उपनियम सं. 24(ii)(ग), 24(ii)(घ) और 24(ii)(च) के अनुसरण में प्रतिनिधियों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए समय—समय पर यथा संशोधित व लागू बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम के प्रावधानों के तहत निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे।
- (iii) (क) प्रत्येक राज्य / संघ शासित क्षेत्र में ₹ 1 लाख से कम के शेयर रखने वाली सदस्य समितियों (उपनियम सं. 24(ii) के अंतर्गत कवर की गई सदस्य समितियों के अलावा) के प्रतिनिधियों में से अधिक से अधिक 200 प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाएगा, जो प्रत्येक 200 सदस्य समितियों अथवा इसके भाग पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया जाएगा; तथापि, किसी भी राज्य / संघ शासित क्षेत्र से ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी परंतु प्रत्येक राज्य / संघ शासित क्षेत्र से कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य चुना जायेगा। तथापि, ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि समय—समय पर यथा संशोधित एवं लागू बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम / नियमों के प्रावधानों के अनुसार होंगे;

(यह संशोधन तारीख 20 अगस्त 2018 के पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं0 एफ.नं0एल- 11015/8/1975-एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [नौवां संधोधन दसवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- (ख) किसी राज्य / संघ शासित क्षेत्र की सदस्य समितियां जिनके पास ₹ 1 लाख या इससे अधिक परन्तु ₹ 10 लाख से कम मूल्य के शेयर हैं, के प्रतिनिधि यदि एक बार 24(ii)(ड.) के अनुसार अयोग्य हो जाते हैं तो वे उस राज्य / संघ शासित क्षेत्र से प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए उपर्युक्त 24(iii) के अनुसार उस राज्य / संघ शासित क्षेत्र की समितियों के साथ कवर होंगे; तत्पश्चात ₹ 10 लाख से कम मूल्य के शेयर रखने वाली सभी सदस्य समितियों के प्रतिनिधि उस राज्य / संघ शासित क्षेत्र के लिए होने वाले निर्वाचन में हिस्सा लेंगे;
- (ग) एक बार 24(iii) (क) के अन्तर्गत चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 200 की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाने पर, प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधियों की संख्या वहीं फ्रीज हो जाएगी।

तथापि, सदस्यता प्राप्त करने की इच्छुक समितियों को सदस्यता प्रदान की जाएगी और उनका नाम समुचित स्थान पर जोड़ा जाएगा परन्तु उस राज्य से प्रतिनिधियों की संख्या में कोई बढोतरी नहीं होगी।

- g) the elections to fill-in the vacancies for Delegates as per 24(ii)(c), 24(ii)(d) & 24(ii)(f) as above will be held in accordance with the Rules framed by the Board of Directors under the provisions of the Multi-State Cooperative Societies Act as amended and applicable from time to time.
- (iii) (a) Delegates not exceeding 200 to be elected from amongst the representatives of member societies having shares of less than ₹ 1 lakh (other than member societies covered by Bye- law No.24(ii) as above) in each State/Union Territory at the rate of one delegate for every 200 member societies or part thereof; provided however, the maximum number of such delegates from any State/Union Territory shall not exceed 25 and subject to minimum of atleast one delegate from each State/Union Territory. However, such elected delegates shall be as per the provisions of the Multi-State Cooperative Societies Act/Rules amended and applicable from time to time;

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/1975-L&M dated 20th August 2018) [Ninth amendment incorporated in 10th edition]

- b) once the representatives of the member societies of any State/UT having shares of ₹ 1 lakh or more but less than ₹ 10 lakh, become ineligible as per 24(ii)(e) they will join the member societies of that State/UT as per 24(iii) above to elect the delegates from that State/UT; and thereafter, the representatives of all the member societies having shares of rupees less than 10 lakh will participate in the election for that State/UT;
- c) once the total number of elected delegates as per 24(iii)(a) above reaches the maximum limit of 200, the number of delegates in each State will freeze at that number only.
 - However, the societies seeking membership will be accepted and added at appropriate places without any increase in the number of delegates in that State.

(iv) उप नियम 24 (ii) एवं 24 (iii) के अनुसार निर्वाचित किये जाने वाले 1000 प्रतिनिधियों में ऐसी सहकारी समितियों, जिनका प्रतिनिधित्व किसी महिला द्वारा किया जाता हो और जिनमें महिला सदस्यों की संख्या अधिक हो तथा जिनकी अध्यक्ष या चेयरमैन या मुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला हो, से 5 प्रतिशत सीटें महिला प्रतिनिधियों के लिये आरक्षित की जा सकती हैं।

(यह संशोधन तारीख 20 अगस्त 2018 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं.एल—11015/8/1975—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [नौवां संशोधन दसवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

25. प्रतिनिधि पांच वर्ष की अवधि तक या उनके उत्तरवर्त्तियों का निर्वाचन / नामांकन होने तक बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 और इफको उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार इफको की आम सभा के सदस्य बने रहेंगे।

(यह संशोधन तारीख 13 जून, 2005 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल— 11015/8/75—एल एंड एम/खण्ड—IV के द्वारा पंजीकृत किया गया) [द्वितीय संशोधन तीसरे संस्करण में सम्मिलित किया गया]

26. विभिन्न राज्यों से आम सभा के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया, निदेशक मंडल द्वारा, अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए चुनाव नियमों के अनुसार होगी।

आम सभा की शक्तियां

- 27. आम सभा अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य भी करेगी;
 - (i)(क) बोर्ड के सदस्यों का चुनाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सहकारी चुनाव प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा तथा
 - (i)(ख) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों को हटाया जाएगा:

(iv) Out of the 1000 delegates to be elected as per Bye law 24(ii) & 24(iii), 5% seats may be reserved for women delegates, from such cooperative societies who are represented by a woman and have majority women members as well as have a woman as their President or Chairman or Chief Executive.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/ 8/ 1975-L&M dated 20th August 2018) [Ninth amendment incorporated in 10th edition]

25. The delegates shall continue to be members of the General Body of IFFCO in accordance with the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and IFFCO Bye-Laws for a period of five years or till their successors are elected/nominated.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M/Vol.IV dated 13th June, 2005) [2nd amendment incorporated in 3rd edition]

26. The procedure for election of delegates to the General Body from various States shall be in accordance with the Election Regulations framed by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Act and Rules framed thereunder.

POWERS OF THE GENERAL BODY

- 27. The following, among other matters, shall be dealt with by the General Body:
 - (i)(a) Election of the members of the Board of Directors, to be conducted by the Co-operative Election Authority, in accordance with the provisions of the Act;
 - (i)(b) Removal of the members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Act and Rules framed thereunder;

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/75—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- (ii) अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी विद्यमान उप—िनयम में संशोधन करना या उसे निरस्त करना अथवा किसी नए उप—िनयम को लागू करना;
- (iii) निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट और पिछले वर्ष के लेखाओं पर विचार करना और उन्हें पारित करना, चालू वर्ष के कार्यकलापों की समीक्षा और आगामी वर्ष के कार्यक्रमों का अनुमोदन करना;
- (iv) लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना; बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अधीन केन्द्रीय रिजस्ट्रार द्वारा अनुमोदन पर लेखापरीक्षकों के पैनल में से लेखापरीक्षकों और समवर्ती लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक तय करना:

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/75—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- (v) सदस्यों का निष्कासन करना;
- (vi) निवल लाभ का वितरण;
- (vii) कोई विशिष्ट आरक्षित निधि और अन्य निधियां सृजित करना;
- (viii) दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य वाली योजना, वार्षिक परिचालन योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन;

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/75—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

(ix) आरक्षित निधि और अन्य निधियों के वास्तविक उपयोग की समीक्षा;

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

- (ii) Amendment or repeal of any existing Bye-Laws or the enactment of any new Bye-laws in accordance with the procedure prescribed in the Act and the Rules made thereunder;
- (iii) Consideration and adoption of Annual Report and Statement of Accounts of last year, Review of Activities of current year and approval of Programme of Activities of ensuing year presented by the Board of Directors;
- (iv) Consideration of audit report; appointment of auditors and concurrent auditors from the panel of auditors as approved by the Central Registrar, to fix remuneration of auditors subject to the provisions of the Multi-State Cooperative Societies Act and Rules framed thereunder;

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

- (v) Expulsion of a member;
- (vi) Distribution of net profits;
- (vii) Creation of specific reserves and other funds;
- (viii) Approval of long-term perspective plan, annual operational plan and annual budget;

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

(ix) Review of actual utilization of reserve and other funds;

- (x) निदेशक मंडल के सदस्यों या मुख्य कार्यकारी के संबंधियों, जो कर्मचारी हों, की सूची की समीक्षा;
- (xi) निदेशक मंडल के सदस्यों और अधिकारियों के लिए आचार संहिता तैयार करना;
- (xii) सहायक संस्थाओं, यदि कोई हों, की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं की समीक्षा;
- (xiii) लेखापरीक्षा अनुपालन रिपोर्ट पर विचार;
- (xiv) कार्यचालन घाटा, यदि कोई हो, की समीक्षा;
- (xv) निदेशक मंडल द्वारा इसके समक्ष प्रस्तुत कोई अन्य मामला।

आम सभा की बैठकें

28. इफको की आम सभा की बैठक निदेशक मंडल के संकल्प के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/75—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- 29. आम सभा के कुल प्रतिनिधियों में से कम से कम 1/5 भाग प्रतिनिधियों या सहकारी सिमितियों के केन्द्रीय रिजस्ट्रार की लिखित मांग आने के एक माह के भीतर आम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। मांग पत्र में आम सभा की विषेष बैठक बुलाए जाने का प्रयोजन बताना होगा।
- 30. आम सभा के सभी प्रतिनिधियों और नामित सदस्यों को बैठक के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा।

- (x) Review the list of employees who are relatives of members of the Board or of the Chief Executive;
- (xi) Formulation of code of conduct for the members of the Board and officers;
- (xii) Review of Annual Report and Accounts of Subsidiary Institution, if any;
- (xiii) Consideration of Audit Compliance Report;
- (xiv) Review of Operational Deficit, if any;
- (xv) Any other matter laid before it by the Board of Directors.

MEETINGS OF THE GENERAL BODY

28. Meeting of the General Body of IFFCO shall be held at least once in every Financial Year under a resolution of the Board of Directors.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

- 29. A Special Meeting of the General Body shall be called within one month of written requisition from at least 1/5th of the delegates constituting the General Body or from the Central Registrar of Cooperative Societies. The requisition shall state the object for which the Special Meeting of the General Body is to be called.
- 30. At least 14 days notice shall be given for the Meeting of the General Body to all delegates and nominees who constitute the General Body.

- 31. आम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति आम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/5 भाग के बराबर होगी। यदि बैठक के निर्धारित समय से आधे घंटे तक गणपूर्ति न हो पाये तो बैठक स्थिगित कर दी जाएगी। इस प्रकार स्थगन के बाद अगली बैठक की तारीख व समय का निर्णय बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाएगा। यदि स्थिगित बैठक में भी गणपूर्ति न हो पाए तो उप—नियमों में संशोधन से सम्बद्ध कार्य को छोड़कर बैठक का शेष कार्यव्यापार बिना गणपूर्ति के भी मान्य होगा।
- 32. निदेशक मंडल के अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष आम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के अनुपस्थित होने पर, बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि अपने में से बैठक के अध्यक्ष का चयन करेंगे।
- 33. आम सभा की बैठक में उप—नियमों में संशोधन लाने के प्रश्न को छोड़कर, शेष सभी प्रश्नों पर निर्णय, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा। मत साम्य की स्थिति में बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

उप—नियमों में संशोधन करने के लिए प्रवृत्त अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

निदेशक मंडल

- 34. इफको के निदेशक मंडल में, फंक्शनल निदेशकों और सहयोजित निदेशकों को छोड़कर
 21 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इफको के निदेशक मंडल का गठन निम्न प्रकार होगा:
 - (i) आठ निदेशकों का निर्वाचन सहकारी विपणन महासंघ जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, के सीधे प्रतिनिधियों में से किया जाएगा;
 - (क) इफको में शेयर पूंजी ₹ 2 करोड़ से कम न हो,

तथा

(ख) ऐसे महासंघ द्वारा बेचे गये उर्वरक की मात्रा निदेशकों के निर्वाचन वर्ष से ठीक पूर्व की पांच वर्ष की अवधि के दौरान औसतन दो लाख मी० टन वार्षिक या इफको के उत्पादों और सेवाओं के समतुल्य मूल्य से कम न हो।

- 31. The quorum for the Meeting of the General Body shall be 1/5th of the strength of the General Body. If there is no quorum within half an hour from the appointed time, it shall be adjourned to such date and time as the Chairman of the Meeting may decide. If there is no quorum at an adjourned Meeting, the business of the Meeting, excepting the business relating to amendment of Bye-laws, shall be proceeded with/without a quorum.
- 32. The Chairman of the Board of Directors, and in his absence the Vice-Chairman, shall preside over the Meeting of the General Body. In the absence of both the Chairman and Vice-Chairman, the delegates present in the Meeting shall elect a Chairman for the Meeting from amongst themselves.
- 33. All questions in the Meeting of the General Body other than amendment of Bye-laws shall be decided by a majority of delegates present and voting. In case of equality of votes, the Chairman of the Meeting shall have a casting or second vote.

For the amendment of Bye-laws, the procedure prescribed in the Act and Rules, in force, shall be followed.

BOARD OF DIRECTORS

- 34. The Board of Directors of IFFCO shall not exceed 21 Directors excluding Functional Directors and Co-opted Directors. It shall consist of:
 - (i) Eight Directors to be elected from the direct delegates of the Cooperative Marketing Federations who fulfill the following criteria:
 - (a) Share capital in IFFCO is not less than ₹ 2 crore;

And

(b) Sales of IFFCO fertilisers by such Federation(s) is not less than average two lakh Metric Tons per annum or equivalent value of products and services of IFFCO, during the five years term immediately preceding the year of election of Directors.

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/75—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

उस स्थिति में, जबिक सहकारी विपणन महासंघों के ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या 8 से अधिक है तो वे इफको के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर निर्वाचन हेतु अपने बीच से ही चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। अवरोही क्रम में महासंघों के सर्वाधिक मत पाने वाले पहले आठ प्रतिनिधियों को इफको निदेशक मंडल में निदेशक घोषित किया जाएगा। ऐसे महासंघों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनेगा तथा आमसभा में उनके प्रतिनिधि बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम एवं नियमों के अनुरूप होंगे।

यदि उपर्युक्त मानदंडों के अनुरूप महासंघों के ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या आठ से कम है तो ऐसे प्रतिनिधि पहले आठ निदेशकों में स्थान पाएंगे। शेष बचे पद आठ से कम होने पर उन्हें ऐसे महासंघों के प्रतिनिधियों के बीच से हुए निर्वाचन के माध्यम से भरा जाएगा जिनकी:

क) इफको में शेयर पूँजी ₹ 2 करोड़ से कम न हो;

अथवा

ख) ऐसे महासंघ द्वारा बेचे गये उर्वरक की मात्रा निदेशक के निर्वाचन वर्ष से ठीक पूर्व की पांच वर्ष की अवधि के दौरान औसतन दो लाख मी.टन वार्षिक या इफको के उत्पादों और सेवाओं के समतुल्य मूल्य से कम न हो।

(यह संशोधन तारीख 26 सितम्बर, 2013 के पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं. एफ. नं. एल-11015/8/1975-एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [पांचवा संशोधन छठे संस्करण में सिम्मिलित किया गया, और इसके बाद यह संशोधन तारीख 20 अगस्त 2018 के पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं0 एफ. नं. एल — 11015/8/1975-एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया। [नौवां संशोधन दसवें संस्करण में सिम्मिलित किया गया] और (दिनांक 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण पत्र सं. एफ. नं. एल-11015/8/75-एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सिम्मिलित किया गया।]

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

In case there are more than 8 such delegates of the Cooperative Marketing Federations then they would be eligible to contest for the election from amongst themselves for the position of Director on the Board of IFFCO. The first eight delegates of the Federations getting the highest number of votes in the descending order will be declared to be Directors on the Board of IFFCO. Such Federations will constitute a separate Constituency and their delegates to the General Body will be as per MSCS Act & Rules.

If the number of such delegates of the Federations is less than eight as per the above criteria then the delegates as above will find their place amongst eight Directors. The remaining positions falling short of eight will be filled in by election from the delegates of the Federations whose:

(a) Share capital in IFFCO is not less than ₹ 2 crore;

Or

(b) Sales of IFFCO fertilisers by such Federation(s) is not less than average two lakh Metric Tons per annum or equivalent value of products and services of IFFCO, during the five years term immediately preceding the year of election of Directors.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/1975-L&M dated 26th September 2013) [Fifth amendment incorporated in 6th edition] and subsequent amendments registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/ 8/ 1975-L&M dated 20th August 2018) [Ninth amendment incorporated in 10th edition] and Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

ऐसे नामित प्रतिनिधि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 / नियमों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।

(ii) दस निदेशकों का निर्वाचन, आम सभा द्वारा किया जाएगा;

(यह संशोधन तारीख 20 अगस्त, 2018 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/1975—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [नौवां संशोधन दसवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- (iii) अधिक से अधिक तीन सदस्य भारत सरकार द्वारा इक्विटी अंशदान के आधार पर अर्थात यदि कुल शेयर पूंजी में भारत सरकार का इक्विटी अंशदान 26 प्रतिशत से कम है तो एक सदस्य, यदि इक्विटी अंशदान 26 प्रतिशत या इससे अधिक लेकिन 51 प्रतिशत से कम है तो दो सदस्य; और यदि इक्विटी अंशदान 51 प्रतिशत या इससे अधिक है तो तीन सदस्य, नामित होंगे;
- (iv) (क) निदेशक मंडल, प्रबंधन, वित्त, सहकारिता, तकनीकी और / या बैंकिंग क्षेत्रों के या व्यावसायिक रूप से दक्ष व्यक्तियों में से दो विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकता है, जिनके योगदान से इफको को व्यावसायिक सुदृढ़ता प्राप्त होती हो, परन्तु, ऐसा व्यक्ति जो निदेशक मंडल का चुनाव हार चुका है, कैजुअल रिक्ति पर या अन्यथा निदेशक के पद पर सहयोजित नहीं हो सकेगा।
 - (ख) ऐसे सहयोजित निदेशक इफको के निदेशक मंडल के पदाधिकारियों के चुनाव में मतदान करने अथवा इफको निदेशक मंडल के पदाधिकारी के रूप में चुने जाने अथवा किसी भी बहुराज्य सहकारी समिति में इफको का प्रतिनिधित्व करने के पात्र नहीं होंगे।

(यह संशोधन तारीख 26 सितंबर, 2013 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/1975—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [पांचवा संशोधन छठे संस्करण में सम्मिलित किया गया]

(v) इफको के प्रबंध निदेशक, वित्त निदेशक, विपणन निदेशक, निदेशक (तकनीकी), निदेशक (सहकारिता विकास), निदेशक (मानव संसाधन विकास), निदेशक (संयुक्त उद्यम) तथा निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ); (सभी पदेन); Such nominee shall be in accordance with the provisions of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002/Rules.

(ii) Ten Directors to be elected by the General Body;

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/ 8/ 1975-L&M dated 20th August 2018) [Ninth amendment incorporated in 10th edition]

- (iii) Not more than three persons to be nominated by the Central Government based on equity share capital held by the Central Government i.e. one person if the equity share capital is less than 26%, two persons if the equity share capital is 26% or more but less than 51%; and three persons if the equity share capital is 51% or more of the total issued share capital;
- (iv) a) The Board may co-opt two experts in the field of Management, Finance, Cooperation, Technical and/or Banking or such other professionals who would professionally strengthen IFFCO; provided that a person who has lost in election to the Board shall not be co-opted as a Director on the Board on casual vacancy or otherwise;
 - b) Such Co-opted Directors will not be eligible to Vote for the election of the office bearers of IFFCO Board or to be eligible to be elected as office bearers to the Board or represent IFFCO in any other Multi-State Cooperative Society.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/1975-L&M dated 26th September 2013) [Fifth amendment incorporated in 6th edition]

(v) The Managing Director, Finance Director, Marketing Director, Director (Tech.), Director (Coop. Dev.), Director (HRD), Director (Joint Ventures) and Director(IT Services) of IFFCO (all ex-officio); (यह संशोधन तारीख 1 जून, 2006 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ.न. एल—11015/8/1975—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [तीसरा संशोधन चौथे संस्करण में सम्मिलित किया गया] और इसके बाद यह संशोधन तारीख 3 जून 2015 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/1975—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [सातवां संशोधन आठवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- (vi) इफको को दीर्घावधिक ऋण देने वाली वित्तीय संस्था या संस्थायें भी, यदि कोई हो, 21 निदेशकों की समग्र सीमा के भीतर, एक निदेशक नामित कर सकती है; बशर्ते ऋण करार में इस आशय का प्रावधान हो;
- (vii) बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उप—िनयम 34(iii) के अंतर्गत भारत सरकार के नामिती निदेशकों की संख्या में होने वाली किसी कमी को उप—िनयम 34(ii) के अंतर्गत इफको प्रतिनिधि महासभा द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की समान संख्या से पूरा किया जाएगा। तथापि, उप—िनयम 34(ii) और उप—िनयम 34(iii) के अनुसार निदेशकों की कुल संख्या 13 (तेरह) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(यह संशोधन तारीख 14 जून 2004 के पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं. एफ.न. एल-11015/8/1975-एल एंड एम/खंड IV के द्वारा पंजीकृत किया गया) [पहला संशोधन दूसरे संस्करण में सम्मिलित किया गया] और इसके बाद यह संशोधन तारीख 20 अगस्त 2018 के पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं. एफ. नं. एल-11015/8/1975-एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [नौवां संशोधन दसवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

(viii) उप—नियम 34(ii) के तहत चुने गए निदेशकों में से एक पद महिला निदेशक के लिए आरक्षित होगा, जो 24(iv) के तहत चुने गए प्रतिनिधियों में से चुना जाएगा।

(यह संशोधन तारीख 15 जनवरी 2024 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र संख्या एफ.नं. एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया] (Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/ 8/ 1975-L&M dated 1st June 2006) [3rd amendment incorporated in 4th edition] and subsequent amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/ 8/ 1975-L&M dated 3rd June 2015) [Seventh amendment incorporated in 8th edition]

- (vi) The Financing agency or agencies, if any, providing long-term credit to IFFCO shall also be eligible to nominate one Director if there is a provision to that effect in the loan agreement; subject to overall limit of 21 Directors;
- (vii) Any reduction in the number of Government of India nominee Directors under Bye law 34(iii) in accordance with the provisions of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 will be correspondingly added to the number of Directors to be elected by the Representative General Body of IFFCO under Bye law 34(ii). However, the total number of Directors as per Bye-Law 34(ii) and 34(iii) shall not exceed 13 (Thirteen).

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/1975-L&M/Vol. IV dated 14th June 2004) [1st amendment incorporated in 2nd edition] and subsequent amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/1975-L&M dated 20th August 2018) [Ninth amendment incorporated in 10th edition]

(viii) Out of the directors elected under Bye-Law 34(ii) one position shall be reserved for a woman director, to be elected from among the representatives elected under 24(iv).

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 15th January, 2024) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

(ix) इस उप—िनयम में शामिल किसी भी बात के बावजूद, उप—िनयम 34(viii) के तहत एक राज्य से निर्वाचित निदेशकों की संख्या, महिला निदेशक को छोड़कर, दो से अधिक नहीं होगी।

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/75—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

35. (i) केवल ऐसे सदस्य निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर निर्वाचन के लिए पात्र होगा जिसने बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 2002 की धारा 43 में निदेशक मंडल का सदस्य बनने के लिए यथा उल्लिखित निरर्हता प्राप्त न की हो । निदेशक मंडल के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होगा, लेकिन, कैजुअल रिक्ति पर निर्वाचित निदेशक(कों) निदेशक मंडल के कार्यकाल की शेष अवधि तक तथा केवल उस अवधि तक जिसके लिए वह बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम के अनुरूप इफको के निदेशक होने का पात्र है, बना रहेगा/ बने रहेंगे।

(यह संशोधन तारीख 26 सितंबर 2013 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एल—11015/8/75—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [पांचवां संशोधन छठे संस्करण में सम्मिलित किया गया] और इसके बाद यह संशोधन तारीख 10 अगस्त 2017 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/1975—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [आठवां संशोधन नौवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

(ii) कैजुअल, रिक्ति, यदि कोई होगी, उप—नियम संख्या 36 के प्रावधानों के अनुसार भरी जाएगी।

(यह संशोधन तारीख 26 सितंबर, 2013 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [पांचवां संशोधन छठे संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- (iii) निदेशक मंडल के निर्वाचित सदस्य, पुनर्निर्वाचन के पात्र भी होंगे।
- 36. यदि बोर्ड का कार्यकाल इसके मूल के आधे से कम है, तो बोर्ड सदस्यों के उसी वर्ग में से नामांकन द्वारा, जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है, बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों की एक तिहाई संख्या तक आकस्मिक रिक्तियों को भर सकता है।

(ix) Notwithstanding anything contained in this Bye-Law, the number of elected directors from one state, excluding woman director to be elected under Bye-Law 34(viii), shall not exceed two.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

35. (i) Only such a member shall be eligible for election as Director on the Board, who does not suffer from any disqualification for being a member on the Board as prescribed in Section 43 of the Multi State Cooperative Societies Act, 2002. The term of office of the elected members of the Board of Directors shall be five years, provided, Director(s) elected on casual vacancy shall continue only for the balance term of the Board and only for such duration so long as he/she continues to be eligible to be Director of IFFCO as per the Multi-State Co-operative Societies Act.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. L-11015/8/75-L&M dated 26th September, 2013) [Fifth amendment incorporated in 6th edition] and subsequent amendment registered vide Certificate of Registration No. F. No. L-11015/8/1975-L&M dated 10th August 2017) [Eighth amendment incorporated in 9th edition]

(ii) Casual Vacancy, if any, shall be governed by Bye-law No. 36.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. L-11015/8/75-L&M dated 26th September, 2013) [Fifth amendment incorporated in 6th edition]

- (iii) The elected members of the Board shall be eligible for re-election.
- 36. Board may fill casual vacancies up to one-third of number of elected directors on the board by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the board is less than half of its original term:

बशर्ते यदि ऐसी आकस्मिक रिक्तियों की संख्या निर्वाचित निदेशकों की संख्या की एक तिहाई से अधिक हो, तो ऐसी रिक्तियां चुनाव द्वारा भरी जाएंगी। ऐसी कैंजुअल रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित निदेशक केवल उस अविध तक जिसके लिए वह बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम के अनुरूप इफकों के निदेशक होने की पात्रता रखता है, बना रहेगा/बनी रहेगी।

(यह संशोधन तारीख 26 सितंबर 2013 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एल—11015/8/75—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [पांचवां संशोधन छठे संस्करण में सम्मिलित किया गया] और इसके बाद यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/75—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- 37. निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य, किसी भी समय, इफको के प्रबन्ध निदेशक को अपना त्यागपत्र भेजकर अपने पद का त्याग कर सकता है। ऐसा त्यागपत्र निदेशक मंडल द्वारा इसे स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।
- 38. (i) यदि किसी बैठक में किसी ऐसे मामले पर चर्चा हो रही हो जिसमें किसी सदस्य या उसका / उसकी रिश्तेदार (जैसा कि बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम में परिभाषित है) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव या रुचि रखता है तो संबंधित सदस्य न तो उस बैठक में उपस्थित रहेगा और न ही वह उस पर होने वाले मतदान में भाग लेगा।
 - (ii) मुख्य कार्यकारी सहित किसी भी मौजूदा निदेशक के किसी भी रिश्तेदार को कर्मचारी के रूप में भर्ती नहीं किया जाएगा।

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- 39. निदेशक मंडल का निर्वाचित सदस्य निम्नलिखित परिस्थितियों में अपना पद छोड देगाः
 - (i) जिस सदस्य समिति का वह प्रतिनिधित्व करता है, यदि वह समिति इफको की सदस्य न रहे या आम सभा द्वारा निष्कासित कर दी जाए;

Provided that in case the number of such casual vacancies exceed one-third of the number of elected directors, such vacancies shall be filled by elections. The Director elected against such casual vacancy shall continue only for the balance term of the Board and only for such time that he/she continues to be eligible to be Director of IFFCO as per the Multi-State Cooperative Societies Act.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. L-11015/8/75-L&M dated 26th September, 2013) [Fifth amendment incorporated in 6th edition] and subsequent amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

- 37. A member of the Board may, at any time, resign from his office by sending his resignation to the Managing Director of IFFCO. Such resignation shall take effect from the day it is accepted by the Board.
- 38. (i) No member of the Board shall be present at a Meeting when any matter in which he/she or his/her Relative (as defined in the Multistate Cooperative Societies Act) is directly or indirectly concerned or interested is being discussed, nor shall he/she vote thereupon.
 - (ii) No Relative of any of the sitting directors shall be recruited as employee including the Chief Executive.

Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

- 39. An elected Member of Board shall vacate his office if:
 - (i) The Member Society which he represents ceased to be a Member of IFFCO or is expelled by the General Body;

- (ii) यदि वह बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम तथा इसके अधीन बनी नियमावली में निर्धारित कोई निरर्हता प्राप्त कर ले:
- (iii) यदि अनुपरिथित के लिए अनुमित लिए बिना निदेशक मंडल की लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपरिथत रहे।

निदेशक मंडल की बैठकें

- 40. (i) निदेशक मंडल की बैठकें अध्यक्ष के निर्देशानुसार बुलाई जाएंगी। जहां अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी को तिमाही के भीतर बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश देने में विफल रहता है, वहां अधिनियम के अनुसार बोर्ड की बैठक बुलाई जा सकती है।
 - (ii) निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जाएगी। परन्तु वर्ष के दौरान होने वाली बैठकों की कुल संख्या साधारणतया 6 से कम नहीं होगी। निदेशक मंडल की बैठक बुलाने के लिए साधारणतया दो सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा। निदेशक मंडल की बैठक की गणपूर्ति कुल निर्वाचित निदेशकों की एक तिहाई होगी। बैठक का स्थान समय—समय पर निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाएगा।

(यह संशोधन तारीख 1 जून 2006 के पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं. एफ.न. एल-11015/8/75-एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [तीसरा संशोधन चौथे संस्करण में सम्मिलित किया गया] और इसके बाद यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं. एफ. नं. एल-11015/8/75-एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- 41. निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता, निदेशक मंडल के अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित निदेशकगण अपने में से बैठक के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।
- 42. निदेशक मंडल की बैठकों में सभी प्रस्ताव तथा मामलों का निर्णय बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले निदेशकों के बहुमत से किया जाएगा। निदेशक मंडल का प्रत्येक सदस्य एक मत दे सकेगा।

(यह संशोधन तारीख 1 जून, 2006 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0 एल— 11015/8/75— एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [तृतीय संशोधन चौथे संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- (ii) If he acquires any disqualification prescribed in the Multi-State Cooperative Societies Act and the Rules framed thereunder;
- (iii) If he is absent at more than three consecutive Meetings of the Board of Directors without leave of absence.

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

- 40. (i) The Meeting of the Board of Directors shall be convened at the instance of the Chairman. Where the Chairman fails to direct the Chief Executive to convene the meeting of the board within the quarter, meeting of the board may be called in accordance with the Act.
 - (ii) The Meetings of the Board of Directors shall be held at least once in every quarter, provided total number of meetings shall not ordinarily be less than six in a year. Two weeks notice shall ordinarily be given for the Meetings of the Board. The quorum for a Meeting of the Board shall be one third of the total number of elected directors. Venue of the meeting will be as decided by the board of directors from time to time.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No.L-11015/8/75-L&M dated 1st June, 2006) [3rd amendment incorporated in 4th edition] and subsequent amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

- 41. The Chairman of the Board of Directors and in his absence, the Vice-Chairman shall preside over the Meeting of the Board. In the absence of both Chairman and Vice-Chairman, the Directors present in the Meeting shall elect a Chairman for the Meeting from among themselves.
- 42. All proposals and matters in the Meetings of the Board shall be decided by majority of Directors present and voting. Each member of the Board shall have one vote.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No.L-11015/8/75-L&M dated 1st June, 2006) [3rd amendment incorporated in 4th edition]

निदेशक मंडल की शक्तियां

- 43. इफको के निदेशक मंडल को सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम / नियमों के तहत उसे अपने दायित्व सम्पन्न करने के लिए आवश्यक तथा उपयुक्त समझी जाएंगी। उपर्युक्त शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन शक्तियों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:
 - (i) सदस्यों को प्रवेश देना, उप—िनयम 19 के अंतर्गत निरर्हता की स्थिति में सदस्यता समाप्त करने के बारे में निर्णय करना तथा निष्कासन की कार्यवाही लंबित होने तक सदस्य समितियों को निलंबित करना।

(यह संशोधन तारीख 3 जून 2015 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल— 11015/8/75— एल एण्ड एम (खंड V) के द्वारा पंजीकृत किया गया) [सातवां संशोधन आठवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

- (ii) आम सभा की बैठक बुलाने के लिए प्राधिकृत करना;
- (iii) निदेशक मंडल में सह—योजन के जरिए रिक्ति या रिक्तियां भरना।
- (iv) वार्षिक और अनुपूरक बजट की आम सभा के अनुमोदन के लिए सिफारिश करना;
- (v) आम सभा को लाभ के वितरण के लिए सिफारिश करना;
- (vi) क) प्रबंध निदेशक को नियुक्त, निलम्बित या निष्कासित करना और उनके वेतन, भत्ते, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सेवा शर्तों का अनुमोदन करना। तथापि, जब तक केन्द्र सरकार के पास इक्विटी शेयर पूंजी अथवा इफको के कुल शेयरों का 51 प्रतिशत से अधिक होगा, तब तक प्रबंध निदेशक के वेतन और भत्ते, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सेवा शर्तें अधिनियम और नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अनुसार होंगी;
 - ख) फंक्शनल निदेशकों को नियुक्त, निलम्बित या निष्कासित करना और उनके वेतन, भत्ते, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सेवा शर्तों का अनुमोदन करना;

POWERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

- 43. The Board of Directors of IFFCO shall have all such powers as are considered necessary or expedient for the purpose of carrying out its functions under the Multi-State Cooperative Societies Act/Rules. Without prejudice to the generality of foregoing power, such power shall include the powers:-
 - to admit members, to decide about cessation of membership on incurring disqualification under Bye-Law No.19 and to suspend member societies during pendency of expulsion proceedings;

(Amendment registered vide certificate of Registration No. F. No. L-11015/8/75-L&M (Vol. V) dated 3rd June, 2015) [Seventh amendment incorporated in 8th edition]

- (ii) to authorise convening of Meetings of the General Body;
- (iii) to fill any vacancy or vacancies in the Board by co-option;
- (iv) to recommend Annual & Supplementary Budgets for approval by the General Body;
- (v) to recommend to the General Body, distribution of profit;
- (vi) (a) to appoint, suspend or remove the Managing Director and to approve his salary, allowances, pension, gratuity, retirement benefits and other terms and conditions of service. However, as long as the Central Government holds fifty one percent or more of the Equity Share Capital or of total shares of IFFCO, the salary and allowances, pension, gratuity, retirement benefits and other terms and conditions of service of the Managing Director shall be such as approved by the Central Government under the Act and the Rules;
 - to appoint, suspend or remove the Functional Directors and to approve their salary, allowances, pension, gratuity, retirement benefits and other terms and conditions of service;

(यह संशोधन तारीख 1 जून, 2006 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं. एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [तृतीय संशोधन चौथे संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

ग) प्रबंध निदेशक की संस्तुति पर फंक्शनल निदेशकों के कार्य दायित्वों को रोटेट करना / कार्य दायित्वों को बढाना।

> (यह संशोधन तारीख 1 जून, 2006 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [तृतीय संशोधन चौथे संस्करण में सम्मिलित किया गया]

(vii) ए' और बी' ग्रेड अथवा अन्य संशोधित समकक्ष श्रेणी के ग्रेडों में कार्यरत अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, निलम्बन या निष्कासन;

(यह संशोधन तारीख 1 जून, 2006 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल—11015/8/75— एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [तृतीय संशोधन चौथे संस्करण में सम्मिलत किया गया]

- (viii) शेयरों की वापसी, अंतरण और जब्ती के मामलों के निर्णय;
- (ix) इफको के कार्य व्यापार के लिए उप नियम संख्या 22 के अनुसार निधियां एकत्र करना, इसके लिए शर्तें निर्धारित करना और इफको द्वारा लिए गए ऋण की प्रतिभृति के रूप में समिति की परिसम्पत्तियों, सम्पत्तियों आदि को प्रभारित करना;
- (x) भारत और भारत से बाहर सहकारी समितियों और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग के लिए शर्तें निर्धारित करना;
- (xi) भारत सरकार और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अंशदान की गई शेयर पूंजी की वापसी के बारे में शर्तें तय करना:
- (xii) बिल, नोट्स, रसीदें, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, चेक, रिलीज, संविदा और दस्तावेज पर इफको की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्राधिकृत करना:

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No.L-11015/8/75-L&M dated 1st June, 2006) [3rd amendment incorporated in 4th edition]

(c) to rotate job responsibilities/enrich the job responsibilities among Functional Directors at the recommendation of Managing Director.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F. No. L-11015/8/75-L&M dated 1st June, 2006) [3rd amendment incorporated in 4th edition]

(vii) to appoint, suspend or remove other officers in Grades 'A' and 'B' or such other amended equivalent nomenclature of Grades;

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F. No. L-11015/8/75-L&M dated 1st June, 2006) [3rd amendment incorporated in 4th edition]

- (viii) to decide matters relating to withdrawal, transfer and forfeiture of shares;
- (ix) to raise funds for the business of IFFCO as per Bye-law No.22, to determine the terms and conditions therefor and to charge the assets, properties etc., of the Society as security for loans that may be raised by it;
- to determine terms and conditions of collaboration with Cooperatives and others in India and abroad;
- (xi) to settle the terms and conditions regarding retirement of share capital contributed by Government of India and National Cooperative Development Corporation;
- (xii) to authorize person or persons to sign on IFFCO's behalf, bills, notes, receipts, acceptances, endorsements, cheques, releases, contracts and documents;

- (xiii) इफको के कार्यव्यापार के लिए न्यासी या न्यासियों, मुख्तार या मुख्तारों, एजेन्ट या एजेन्टों की नियुक्ति करना;
- (xiv) इफको द्वारा या इफको से किसी दावे या मांग को पंच फैसले के लिए भेजना और उस फैसले पर अमल करना और उसका निष्पादन करना:
- (xv) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार आम सभा के प्रतिनिधियों के चुनाव, निदेशक मंडल के सदस्यों के चुनाव और आम सभा तथा निदेशक मंडल की बैठकों के संचालन संबंधी विनियम तैयार करना;
- (xvi) सभी मूल्यों की संविदाओं को मंजूरी देना बशर्ते इन उपनियमों में कोई अन्यथा व्यवस्था न की गई हो;
- (xvii) कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतनमान, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों जिनमें कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन संबंधी कार्रवाई करना भी शामिल है, के बारे में विनियम बनाना जो अधिनियम / नियमों के अनुरूप हों;
- (xviii) इफको के कार्यचालन के लिए 'ए' से 'सी' ग्रेड अथवा अन्य संशोधित समकक्ष श्रेणी के ग्रेडों तक के पदों की मंजूरी देना;

(यह संशोधन तारीख 1 जून, 2006 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं. एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [तृतीय संशोधन चौथे संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

- (xix) यथा आवश्यक समितियां, उप—समितियां या स्थायी समितियां नियुक्त करना और उन्हें उचित शक्तियां प्रदान करना;
- (xx) वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक योजना और बजट, आम सभा के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना;
- (xxi) लेखापरीक्षा और अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करना और इसे आम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना;

- (xiii) to appoint trustee or trustees, attorney or attorneys, agent or agents for the business of IFFCO;
- (xiv) to refer any claims or demands by or against IFFCO for arbitration and to observe and perform the awards;
- (xv) to frame regulations for the election of delegates to the General Body, Members to the Board of Directors and for the conduct of Meetings of the General Body and the Board of Directors as per the Act and Rules framed thereunder;
- (xvi) to sanction contracts of all values unless otherwise provided for in these Bye-laws;
- (xvii) to frame regulations regarding appointment of employees and the scales of pay, allowances and other conditions of service including disciplinary action against such employees, in accordance with the Act/Rules;
- (xviii) to sanction posts for the administration of the affairs of IFFCO in Grades 'A' to 'C' or such other amended equivalent nomenclature of grades;

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F. No. L-11015/8/75-L&M dated 1st June, 2006) [3rd amendment incorporated in 4th edition]

- (xix) to appoint such Committees, Sub-Committees or Standing Committees as may be necessary and delegate to them such powers as may be appropriate;
- (xx) to place the annual report, annual financial statements, annual plan and budget for the approval of the general body;
- (xxi) to consider the audit and compliance report and place the same before the general body;

- (xxii) क) आम सभा को केंद्रीय रिजस्ट्रार द्वारा यथाअनुमोदित लेखा परीक्षकों के पैनल से लेखा परीक्षकों और समवर्ती लेखा परीक्षकों के पैनल की सिफारिश करना. और
 - ख) बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन उनके पारिश्रमिक की सामान्य निकाय को सिफारिश करना.

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं.एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

(xxiii) सहायक कम्पनियों के गठन की जांच करना और उनकी शर्तें तैयार करना तथा उन्हें जारी रखने एवं अन्य सभी संबद्ध और प्रासंगिक मामलों की समीक्षा करना जिसमें ऐसी सहायक कम्पनियों के लिए प्रतिभृति/गारंटी/कारपोरेट गारंटी देना शामिल है;

(यह संशोधन तारीख 4 जून, 2007 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [चतुर्थ संशोधन पांचवें संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

- (xxiv) अन्य सहकारी समितियों में सदस्यता की समीक्षा करना;
- (xxv) अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण व निपटान;
- (xxvi) इफको की निधियों के निवेश, प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित अधिकारों की सीमा से अधिक, के संबंध में निर्णय लेना;
- (xxvii) इफको के कर्मचारियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए अनुमोदन करना।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

44. निदेशक मंडल द्वारा अपने बीच से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, आम सभा और निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

- (xxii) a) to recommend to the General Body the panel of auditors and concurrent auditors from the panel of auditors as approved by the Central Registrar, and
 - b) their remuneration subject to the provisions of the Multi-State Cooperative Societies Act and Rules framed thereunder;

Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

(xxiii) to examine and formulate the terms for the formation and continuance of subsidiary institutions and all matters related and incidental to it 'Including furnishing of Security/Guarantee/Corporate Guarantee for such subsidiaries';

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F. No. L-11015/8/75-L&M dated 4th June, 2007) [4th amendment incorporated in 5th edition]

- (xxiv) to review membership in other Cooperatives;
- (xxv) to acquire or dispose of immovable property;
- (xxvi) to take decisions regarding investment of funds of IFFCO in excess of the powers delegated to the Managing Director;
- (xxvii) to approve payment of Ex-gratia amounts to the employees of IFFCO.

CHAIRMAN AND VICE- CHAIRMAN

44. There shall be a Chairman and a Vice-Chairman elected by the Board of Directors from among themselves. The Chairman and in his absence, the Vice-Chairman shall preside over the Meeting of the General Body and the Board of Directors.

45. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल, निदेशक मंडल के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल के अनुरूप होगा बशर्ते कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले निदेशक पद से हट न जाएं। इस अविध के दौरान कोई रिक्ति होने पर निदेशक मंडल शेष अविध के लिए इस रिक्ति को पूनः निर्वाचन द्वारा भरेगा।

फंक्शनल निदेशक

46. (i) आठ फंक्शनल निदेशक होंगे अर्थात् प्रबंध निदेशक, वित्त निदेशक, विपणन निदेशक, निदेशक (तकनीकी), निदेशक (सहकारिता विकास), निदेशक (मानव संसाधन विकास), निदेशक (संयुक्त उद्यम) और निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं)। वे इफको के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे तथा निदेशक मंडल के सदस्य होंगे।

(यह संशोधन तारीख 1 जून 2006 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ.न. एल—11015/8/75—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [तीसरा संशोधन चौथे संस्करण में सम्मिलित किया गया] और इसके बाद यह संशोधन तारीख 3 जून 2015 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/75—एल एंड एम(खंड V) के द्वारा पंजीकृत किया गया) [सातवां संशोधन आठवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

(ii) प्रबंध निदेशक इफको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करेंगे। वे निदेशक मंडल को उसके कार्यों में सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे/करेंगी। निदेशक मंडल द्वारा बनाई गई सभी समितियों, उप-समितियों और सब-ग्रुपों के सदस्य होंगे/होंगी।

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

(iii) अन्य सात फंक्शनल निदेशक उन्हें सौंपे गये दायित्वों के विशिष्ट क्षेत्र के विभागाध्यक्ष होंगे और प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करेंगे। तथापि, उनके कार्य दायित्वों को निदेशक मंडल द्वारा प्रबंध निदेशक की संस्तुति पर बदला जा सकता है।

45. The term of office of the Chairman and Vice-Chairman shall be co-terminus with the term of the Elected Members of the Board unless Chairman or Vice-Chairman ceases to be a Director earlier. In case of any vacancy within this period, the Board shall fill up the vacancy through re-election for the unexpired term of the Board.

FUNCTIONAL DIRECTORS

46. (i) There shall be eight functional directors i.e. Managing Director, Finance Director, Marketing Director, Director (Tech.), Director (Coop. Development), Director (HRD), Director (Joint Ventures) and Director(IT Services). They shall be in whole time employment of IFFCO and members of the Board of Directors.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 1st June, 2006) [3rd amendment incorporated in 4th edition] and subsequent amendment registered vide Certificate of Registration No. F. No. L-11015/8/75-L&M (Vol. V) dated 3rd June, 2015) (Seventh amendment incorporated in 8th edition)

(ii) The Managing Director shall be the Chief Executive of IFFCO, who shall meet the criteria specified in the Act and Rules framed thereunder. He/She shall aid and assist the Board of Directors in its functions. He/ She shall be member of all the committees, sub-committees and subgroups of the Board of Directors as may be constituted.

Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

(iii) The other seven Functional Directors will be Head of their specific area of responsibilities assigned to them and report to Managing Director. However, their job responsibilities can be rotated by the Board at the recommendation of Managing Director.

(यह संशोधन तारीख 1 जून 2006 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ.न. एल—11015/8/75—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [तीसरा संशोधन चौथे संस्करण में सम्मिलित किया गया] और इसके बाद यह संशोधन तारीख 3 जून 2015 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/75—एल एंड एम(खंड V) के द्वारा पंजीकृत किया गया) [सातवां संशोधन आठवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

निदेशक मंडल की समितियां कार्यकारिणी समिति

- 47. निदेशक मंडल एक कार्यकारिणी समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः
 - 1. निदेशक मंडल के अध्यक्ष
 - निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष
 - 3—7. पांच निदेशक जो सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों द्वारा निर्वाचित किए जाएं:
 - 8. यदि केन्द्रीय सरकार ने इफको की शेयरपूंजी में अभिदान किया हो तो भारत सरकार का एक नामिती;

(यह संशोधन तारीख 13 जून, 2005 के पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं0 एफ.नं0एल-11015/8/75-एल एण्ड एम खंड-IV के द्वारा पंजीकृत किया गया) [द्वितीय संशोधन तीसरे संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

- किसी वित्तीय संस्थान का कोई प्रतिनिधि या कोई अन्य निदेशक, जिसे निदेशक मंडल द्वारा उपयुक्त माना गया हो;
- 10. प्रबंध निदेशक
- 11. वित्त निदेशक
- 12. विपणन निदेशक;

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No.L-11015/8/75-L&M dated 1st June, 2006) [3rd amendment incorporated in 4th edition] and subsequent amendment registered vide Certificate of Registration No.F.No.L-11015/8/75-L&M(Vol.V) dated 3rd June, 2015) (Seventh amendment incorporated in 8th edition)

COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS EXECUTIVE COMMITTEE

- 47. The Board of Directors shall constitute an Executive Committee consisting of the following:
 - 1. Chairman of the Board of Directors;
 - 2. Vice-Chairman of the Board of Directors;
 - 3-7. Five Directors to be elected by the Directors representing cooperatives;
 - 8. One nominee of the Government of India in case the central government has subscribed to the share capital of IFFCO;

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No.L-11015/8/75-L&M/Vol.IV dated 13th June, 2005) [2nd amendment incorporated in 3rd edition]

- 9. One representative of the Financing Institutions or any other Director as thought appropriate by the Board;
- 10. Managing Director;
- 11. Finance Director;
- 12. Marketing Director;

13. निदेशक (तकनीकी)

(यह संशोधन तारीख 1 जून, 2006 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल— 11015/8/75— एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [तृतीय संशोधन चौथे संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या 12 से अधिक नहीं होगी।

- 48. कार्यकारिणी समिति, समिति की विभिन्न स्थापनाओं / परियोजनाओं के कुशल प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी। इसके निम्नलिखित कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे तथापि इस पर समग्र नियंत्रण और प्राधिकार निदेशक मंडल का होगाः
 - (i) बजट अनुमानों की जांच करना और निदेशक मंडल से इसकी सिफारिश करना;
 - (ii) ₹ 15 करोड़ तक की पूँजीगत प्रकृति के सभी नए निवेश प्रस्तावों का अनुमोदन करना;
 - (iii) 'ई' से 'सी—1' अथवा अन्य संशोधित समकक्ष श्रेणी तक के ग्रेडों के पदों का सृजन करना:

(यह संशोधन तारीख 1 जून, 2006 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [तृतीय संशोधन चौथे संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

- (iv) सिमिति के लिए और इसकी ओर से दस्तावेजों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत करना और उप—िनयम 1(ii) में यथा उपबंधित सिमिति की विशेष मुहर के इस्तेमाल के लिए प्राधिकृत करना;
- (v) ऐसे मामलों में कर्मचारियों को ऋण की स्वीकृति देना जहां राशि और अदायगी की शर्तें समिति के सेवा नियमों के अधीन नहीं हैं;
- (vi) उप—नियमों के अधीन प्रबन्ध निदेशक में निहित शक्तियों से अधिक की सभी संविदाएं और खरीद, क्रय आदेशों का अनुमोदन करना;

13. Director (Technical)

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No.L-11015/8/75-L&M dated 1st June, 2006) [3rd amendment incorporated in 4th edition]

The members of the Executive Committee shall not exceed 12.

- 48. The Executive Committee shall be responsible for the efficient management of the Society's various Establishments/Projects. It shall have the following duties and responsibilities, subject to the overall control and authority of the Board of Directors:
 - (i) to examine and recommend to the Board, the budget estimates;
 - (ii) to approve all investment proposals of capital nature upto the limit of ₹15 crore;
 - (iii) to create posts in Grades 'E' to 'C1'; or other amended equivalent nomenclature of grades;

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F. No. L-11015/8/75-L&M dated 1st June, 2006) [3rd amendment incorporated in 4th edition]

- (iv) to authorize execution of documents for and on behalf of the Society and authorise the use of Common Seal of the society as provided for in Bye-law No.1(ii);
- (v) to grant loans to employees where the amount and repayment terms are not covered under the Service Rules of the Society;
- (vi) to approve all revenue expenses and purchases which exceed the powers vested in the Managing Director under the Bye-laws;

- (vii) इफको के कार्य—व्यापार के लिए न्यासी या न्यासियों, मुख्तार या मुख्तारों, एजेन्ट या एजेन्टों की नियुक्ति करना;
- (viii) इफको के या इफको से लिए जाने वाले ₹ 50 लाख तक की राशि के किसी दावे या मांग को पंच फैसले के लिए भेजना, उस फैसले पर अमल करना और समझौते का निष्पादन करना;
- (ix) इफको के कार्य व्यापार के लिए उप नियम संख्या 22 के अनुसार निधियां एकत्र करना, इसके लिए शर्तें निर्धारित करना और इफको द्वारा लिए गए ऋण की प्रतिभृति के रूप में समिति की परिसम्पत्तियों, सम्पत्तियों आदि को प्रभारित करना;
- (x) इफको के व्यापार और कार्य, निरीक्षण और प्रबंध करने के लिए विनियम, नियम, मैनुअल तैयार करना और / या अनुमोदित करना बशर्ते निदेशक मंडल इनका अनुमोदन कर दें;
- (xi) यथा आवश्यक समितियां, उप—समितियां या स्थायी समितियां नियुक्त करना और उन्हें उचित शक्तियां प्रदान करना।

कार्यकारिणी समिति की कुछ ऐसी अन्य अतिरिक्त शक्तियां होंगी और वह ऐसे कार्य भी करेगी, जो निदेशक मंडल, समिति की विभिन्न स्थापनाओं / परियोजनाओं के कुशल प्रबंधन के लिए समय—समय पर उसे सौंपेगा।

- 49. (i) कार्यकारिणी समिति की बैठक यथावश्यक समय व स्थान पर होगी। कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाने के लिए सामान्यतः एक सप्ताह का नोटिस दिया जायेगा। कार्यकारिणी समिति की बैठक, अध्यक्ष के आदेश से बुलाई जाएगी। बैठक में गणपूर्ति, कुल संख्या का एक तिहाई या 5 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो, होगी जिसमें कम से कम तीन सदस्य समिति के पूर्णकालिक कर्मचारियों को छोड़कर होंगे;
 - (ii) निदेशक मंडल के अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति उस बैठक के लिए सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेगी;

- (vii) to appoint Trustee or Trustees, Attorney or Attorneys, Agent or Agents for the business of IFFCO:
- (viii) to refer any claims or demands by or against IFFCO for arbitration, perform awards and to negotiate the compromise, upto an amount of ₹ 50 lakh;
- (ix) to raise funds for the business of IFFCO as per Bye-law No.22, to determine the terms and conditions therefor and to charge the assets, properties etc., of the Society as security for loans that may be raised by it;
- (x) subject to approval of the Board, to frame and/or approve regulations, rules, manuals for the conduct, supervision and management of the business and affairs of IFFCO;
- (xi) to appoint such Committee, Sub-Committee or Standing Committee as may be necessary and delegate to them such powers as may be appropriate.

Provided also that the Executive Committee shall have such other additional powers and functions as may be assigned to it, from time to time, by the Board of Directors for the efficient management of the Society's various establishments/projects.

- 49. (i) The Executive Committee shall meet at such time and place as is considered necessary. A week's notice shall ordinarily be given for a Meeting of the Executive Committee. The Meeting of the Executive committee shall be convened at the instance of the Chairman. The quorum of the Meeting shall be one-third of its total strength or 5 which-ever is higher, 3 of whom at least shall be other than whole-time employees of the Society;
 - (ii) The Chairman of the Board of Directors shall be the Chairman of the Committee. In the absence of the Chairman, the Vice-Chairman shall preside over the Meeting of the Committee. In the absence of the Chairman and the Vice-Chairman, the Committee shall elect one of its Members as Chairman of the particular Meeting;

(iii) किसी बैठक में रखे जाने वाले सभी प्रस्तावों और मुद्दों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा और मतसाम्य की स्थिति में यह मामला निदेशक मंडल को भेज दिया जाएगा।

(यह संशोधन तारीख 1 जून, 2006 के पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं0 एफ.नं0एल-11015/8/75-एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [तृतीय संशोधन चौथे संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

विपणन उप-समिति

- 50. निदेशक मंडल एक विपणन उप-समिति का गठन करेगा।
- 51. विपणन उप—समिति, समिति के विपणन कार्यों के कुशल प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। विपणन उप—समिति के निम्नलिखित कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे, तथापि इस पर समग्र नियंत्रण व प्राधिकार निदेशक मंडल का होगाः
 - (i) उर्वरकों व कृषि आदानों की बिक्री से संबंधित समग्र विपणन नीति तैयार करना तथा उसे निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए संस्तुत करना;
 - (ii) उर्वरकों तथा कृषि आदानों की बिक्री के लिए वितरण नीति तय करना, जिसमें चैनल व बिक्री केन्द्रों की स्थापना भी शामिल है:
 - (iii) उर्वरकों व सहायक उत्पादों की मूल्य निर्धारण नीति से संबंधित मामले निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए संस्तुत करना;
 - (iv) उत्पादों की बिक्री के संबंध में वितरण मार्जिन तथा ऋण के बारे में दिशा—निर्देश व मानदंड निर्धारित करना;
 - (v) समिति व इसके विपणन सहयोगियों के बीच हुए करार में यथावश्यक परिवर्तनों / संशोधनों को निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए संस्तुत करना;

(iii) All proposals and matters arising at any Meeting shall be decided by a majority vote of Members present and in case of equality of votes, the matter shall be referred to the Board of Directors.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F. No. L-11015/8/75-L&M dated 1st June, 2006) [3rd amendment incorporated in 4th edition]

MARKETING SUB-COMMITTEE

- 50. The Board of Directors shall constitute a Marketing Sub-Committee.
- 51. The Marketing Sub-Committee shall be responsible for the efficient management of the marketing operations of the Society.

It shall have the following duties and responsibilities subject to overall control and authority of the Board of Directors :

- (i) to formulate and recommend to the Board for approval the overall marketing policy for the sale of fertilisers and agricultural inputs;
- (ii) to lay down distribution strategy including channels and outlets for the sale of fertilisers and agricultural inputs;
- (iii) to recommend to the Board of Directors for approval matters relating to the pricing policy concerning fertilisers and allied products;
- (iv) to lay down guidelines and norms for the distribution margins and credits for the sale of the products;
- (v) to recommend to the Board of Directors for approval/changes/ modifications considered necessary in the agreement entered into between Society and its marketing associates;

(vi) समिति व इसके विपणन सहयोगियों के बीच विपणन करार की शर्तों के तहत विपणन लागत के विभाजन के संबंध में बनाए गए मानदंडों तथा उनमें किए गए संशोधनों, यदि कोई हों, का अनुमोदन करना;

साथ ही, विपणन उप—सिमित की अन्य अतिरिक्त शक्तियां व कार्य भी होंगे जो उसे सिमित के विपणन कार्यों के कुशल प्रबंधन के उद्देश्य से निदेशक मंडल द्वारा समय—समय पर सौंपे जायेंगे।

परियोजना उप-समिति

- 52. निदेशक मंडल एक परियोजना उप-समिति का गठन करेगा।
- 53. परियोजना उप—समिति समिति द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं के कुशल प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी।

इस उप—समिति, के निम्नलिखित कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे तथापि, इस पर समग्र नियंत्रण व प्राधिकार निदेशक मंडल का होगाः

- (i) परियोजना की समग्र प्रगति व विस्तृत कार्यक्रमों तथा समय सारिणयों की समीक्षा करना;
- (ii) समय व लागत नियंत्रण संबंधी रिपोर्टी की समीक्षा करना;
- (iii) परियोजना के संगठनात्मक ढांचे एवं स्टाफ की व्यवस्था की समीक्षा करना;
- (iv) विभिन्न ठेकों तथा ठेकेदारों व विक्रेताओं के चयन की समीक्षा करना;
- (v) विभिन्न अनुमोदनों के संबंध में प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करना।

साथ ही, परियोजना उप—समिति के अन्य अधिकार व कार्य भी होंगे जो उसे समिति द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं के कुशल प्रबंधन के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय—समय पर सौंपे जाएंगे।

(vi) to approve the norms and modifications thereof, if any, regarding sharing of the marketing costs between the Society and its marketing associates within the frame work of the Marketing Agreement.

Provided also that the Marketing Sub-Committee shall have such other additional powers and functions as may be assigned to it, from time to time, by the Board of Directors for the efficient management of the Marketing operations of the Society.

PROJECTS SUB-COMMITTEE

- 52. The Board of Directors shall constitute a Project Sub-Committee.
- 53. The Projects Sub-Committee shall be responsible for the efficient management of the projects undertaken by the Society.

It shall have the following duties and responsibilities subject to overall control and authority of the Board of Directors :

- (i) to review overall progress of the Project and detailed programmes and schedules;
- (ii) to review the Reports on time and cost control;
- (iii) to review organization structures and staffing of the Project;
- (iv) to review the various contracts and selection of Contractors and Vendors:
- (v) to review the actions taken by the Management on the various clearances.

Provided also that the Projects Sub-Committee shall have such other additional powers and functions as may be assigned to it, from time to time, by the Board of Directors for the efficient management of the Projects undertaken by the Society.

लेखापरीक्षा एवं नीति समिति

53क. निदेशक मंडल द्वारा एक लेखापरीक्षा एवं नीति समिति का गठन किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तीन गैर–सरकारी निदेशक, प्रबंध निदेशक व वित्त निदेशक सदस्य होंगे।

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0 एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

इस समिति के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे, तथापि इस पर समग्र नियंत्रण व प्राधिकार निदेशक मंडल का होगाः

- क) सिमिति की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का सर्वेक्षण और इसकी वित्तीय जानकारियों का प्रकटन जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं;
- ख) निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाने से पहले, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा;
 - लेखांकन नीतियों और प्रणालियों में कोई परिवर्तन;
 - प्रबंधन द्वारा अपने विवेक के आधार पर की गई मुख्य लेखा प्रविष्टियां
 - लेखा मानकों का अनुपालन
 - लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप किए जाने वाले महत्वपूर्ण समायोजन;
 - सामान्य कारोबारी (गोईंग कन्सर्न) अनुमान;
 - लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप पर लेखापरीक्षकों के विचार/टिप्पणियां।
- ग) निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाने से पहले समिति के छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करना;

AUDIT AND ETHICS COMMITTEE

53A. The Board of Directors will constitute an Audit and Ethics Committee consisting of the Chairman, Vice-Chairman, three non-official Directors, Managing Director and Finance Director.

Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

It will have the following duties and responsibilities subject to the overall control and authority of the Board of Directors :

- a) Oversee the Society's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;
- b) Reviewing with management the annual financial statements before submission to the Board, focusing primarily on :
 - Any changes in accounting policies and practices;
 - Major accounting entries based on exercise of judgement by management;
 - Compliance with accounting standards;
 - Significant adjustments arising out of audit;
 - The going concern assumption;
 - Observations/comments of the Auditors in draft audit report.
- c) Reviewing the half-yearly and annual financial statement before submission to the Board, and also ensuring compliance of internal control system;

- घ) प्रबंधन, बाह्य और आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करनाः
- लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों सिहत,
 के संबंध में आवधिक विचार—विमर्श करना;
- च) आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी कार्यकलापों, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या और रिपोर्टिंग स्तर, कवरेज, आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृति सहित, की पर्याप्तता की समीक्षा करना;
- छ) जांच के दौरान पाए गए किन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार—विमर्श करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करवाना;
- ज) आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा जांच के दौरान पाई गई किसी संदिग्ध धोखा—धड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में कोई महत्वपूर्ण खामी की समीक्षा करना व निदेशक मंडल को इस संबंध में सूचित करना;
- झ) समवर्ती लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निष्कर्षों की समीक्षा करना।

लेखापरीक्षा एवं नीति समिति को उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मदों से संबद्ध मामलों या निदेशक मंडल द्वारा इसे सौंपे गए मामलों के संबंध में जांच—पडताल करने का प्राधिकार होगा।

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां सशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

यौन उत्पीडन समिति

- 53ख. (i) निदेशक मंडल कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :
 - क) सभी महिला निदेशकों में से एक समिति की अध्यक्ष होगी और

- d) Reviewing with the management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems;
- e) Holding periodical discussions with the Auditors about the scope of audit including the observations of the auditors;
- f) Reviewing the adequacy of internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and reporting structure, coverage and frequency of internal audit;
- g) Discussion with internal auditors on any significant findings and follow up there on;
- h) Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- i) Reviewing the findings of concurrent audit observations.

The Audit and Ethics Committee shall have the authority to investigate into any matter in relation to the items falling under its scope of work or referred to it by the Board.

Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

SEXUAL HARASSMENT COMMITTEE

- 53B. (i) The Board of Directors will constitute a committee on Prevention of Sexual Harassment at Workplace, consisting of the following:
 - All women directors one of who will be the Chairperson of the committee and

ख) एक पुरुष निदेशक

समिति के अध्यक्ष इफको की एक महिला अधिकारी को समिति के संयोजक के रूप में कार्य करने के लिए नामित करेंगे।

- (ii) इस समिति के विचारार्थ विषय होंगे
 - क) सिमिति ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी जो आवश्यक समझी जाएगी।
 - ख) यह आंतरिक शिकायत समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों की समीक्षा करेगी और सीधे तौर पर प्राप्त शिकायत, यदि कोई हो, पर भी विचार करेगी।
 - ग) समिति की बैठक प्रबंध निदेशक के कहने पर बुलाई जाएगी।
 - घ) समिति की बैठक के लिए सामान्यतः एक सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा।

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

प्रबंध निदेशक की शक्तियां

- 54. प्रबंध निदेशक निम्नलिखित शक्तियों का उपयोग करेंगेः
 - (i) इफको के प्रशासन पर सामान्य नियंत्रण;
 - (ii) निदेशक मंडल / कार्यकारिणी समिति / उपसमितियों की बैठकें, अध्यक्ष के आदेश से बुलाना तथा इन बैठकों के समुचित कार्यवृत्त व रिकार्ड रखना;
 - (iii) इफको के दैनिक व्यापार और कार्यों के सामान्य संचालन, उनके निरीक्षण और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होना;

b) one male director

The Chairperson of the committee shall nominate one lady officer of IFFCO to act as a convenor of the committee.

- (ii) The terms of reference of this committee shall be
 - The Committee shall meet at such time and place as is considered necessary.
 - b) It shall review the reports submitted to it by the Internal Complaint Committee, and also consider complaint received, if any, directly by it.
 - c) The Meeting of the committee shall be convened at the instance of the Managing Director.
 - One week notice shall ordinarily be given for the Meeting of the Committee.

Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

POWERS OF MANAGING DIRECTOR

- 54. The Managing Director shall exercise the following powers:
 - i) to have a general control over the Administration of IFFCO;
 - ii) to convene the Meetings of the Board of Directors/Executive Committee/ Sub-Committees at the instance of the Chairman, and to maintain proper Minutes/records for such Meetings;
 - to be responsible for the general conduct, supervision and management of the day-to-day business and affairs of IFFCO;

- (iv) इफको की ओर से सभी राशियां और प्रतिभूतियां प्राप्त करना और इफको की रोकड़ बकाया तथा अन्य संपत्तियों की उचित देखभाल और उनके अनुरक्षण का प्रबंध करना:
- (v) इफको की ओर से वचन पत्रों (प्रॉमिसरी नोट), सरकारी व अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकित व अंतरित करना और चेक तथा अन्य परक्राम्य लिखत (नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट) को पृष्ठांकित करना, उन पर हस्ताक्षर करना, परक्रामण (नेगोशिएट) करना;
- (vi) सभी जमा रसीदों पर हस्ताक्षर करना, नये बैंक खाते खोलना / मौजूदा खातों को बन्द करना और बैंकों में इफको के खाते में लेन—देन करना;
- (vii) इफको का ऐसा अधिकारी होना जो इफको की ओर से मुकदमा चला सके अथवा जिस पर मुकदमा चलाया जा सके और इफको की ओर से सभी बांड और समझौतों पर हस्ताक्षर करना या इस प्रयोजन के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना;
- (viii) यदि बजट में व्यवस्था हो तो 'एफ' (अथवा संशोधित समकक्ष श्रेणी के ग्रेड) और इससे नीचे के ग्रेड के पदों का सृजन करना और इन ग्रेडों से सम्बद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन या सेवा समाप्त करना;

(यह संशोधन तारीख 1 जून, 2006 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया)। [तृतीय संशोधन चौथे संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

(ix) उप-नियम संख्या 43(xvii)ः के तहत निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार 'बी-1' ग्रेड (अथवा ऐसे संशोधित समकक्ष श्रेणी के ग्रेड) और 'बी-1' ग्रेड तक के कार्मिकों की नियुक्ति, पदोन्नति, निलंबन, उनकी सेवाएं समाप्त करना तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, जिसमें वेतनवृद्धि रोकना, पदावनत करना आदि शामिल है अथवा तदनुरूप संशोधित/अपग्रेडेड ग्रेडों, जो समय-समय पर वरिष्ठ महाप्रबंधक/समकक्ष पदनाम तक के अधिकारियों के संबंध में लागू हों;

(पहला संशोधन तारीख 13 जून, 2005 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र के द्वारा पंजीकृत किया गया) [तृतीय संस्करण में सिम्मिलित किया गया] और तदन्तर (संशोधन तारीख 1 जून, 2006 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया)। [तृतीय संशोधन चौथे संस्करण में सिम्मिलित किया गया।]

- iv) to receive all money and securities on behalf of IFFCO and to make arrangements for the proper maintenance and custody of cash balance and other properties of IFFCO;
- v) to endorse and transfer promissory notes, Government and other securities and to endorse, sign, negotiate cheques and other negotiable instruments on behalf of IFFCO;
- vi) to sign all deposit receipts, open new accounts/close existing bank accounts and operate on the account(s) of IFFCO with the banks;
- vii) to be the officer of IFFCO to sue or to be sued on behalf of IFFCO and sign all bonds and agreements on behalf of IFFCO; or to authorize officers for the purpose;
- viii) to create, subject to budget provision, posts in Grade 'F' (or amended equivalent nomenclature of grade) and below and to appoint, suspend or terminate employment of personnel in respect of these Grades;

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F. No. L-11015/8/75-L&M dated 1st June, 2006) [3rd amendment incorporated in 4th edition]

to appoint, promote, suspend, terminate employment and take disciplinary action including stopping of increments, reversion etc. of personnel up to and including 'B-1' (or such amended equivalent nomenclature of grade) Grade in accordance with the regulations framed by the Board of Directors under Bye-Law No.43(xvii) or corresponding revised/upgraded grades as made applicable from time to time in respect of the Officers up to the level of Senior General Manager/equivalent designation;

(Amendment first registered vide Certificate of Registration dated 13th June, 2005) [Incorporated in 3rd edition] and subsequent amendment registered vide Certificate of Registration No. F. No. L-11015/8/75-L&M dated 1st June, 2006) [3rd amendment incorporated in 4th edition]

- (x) इफको के कर्मचारियों की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व निर्धारित करना;
- (xi) इफको द्वारा या इफको के विरूद्ध या इसके किसी कर्मचारी या इफको के कार्य से अन्यथा सम्बद्ध किसी मामले में कोई कानूनी कार्रवाई करना, चलाना, बचाव करना, समझौता करना या मुकदमा वापस लेना तथा इफको द्वारा या इफको पर किए गए किसी दावे या मांग की अदायगी या भरपाई करने के लिए समझौता करना या कुछ समय देना;
- (xii) निदेशक मंडल ने यदि इस बारे में कोई नियम बनाए हों तो उनके अध्याधीन, इफको के प्रयोजनार्थ प्रत्येक ठेके के बारे में नेगोशिएट करना, एक बार में ₹ 2 करोड़ मूल्य तक के ठेके की स्वीकृति प्रदान करना और राजस्व व्यय करना; तथा ठेकों को रह करना और उनमें परिवर्तन करना और उक्त मामलों में से किसी भी मामले में इफको के नाम से और इफको की ओर से सभी कार्य करना;
- (xiii) प्रबंध निदेशक में निहित सभी या किन्हीं शक्तियों, प्राधिकार और विवेकाधिकार को इफको के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को समनुदेशित करना, लेकिन इस बारे में अंतिम नियंत्रण और प्राधिकार प्रबंध निदेशक के पास रहेगा:
- (xiv) समिति के विभिन्न खातों तथा रिकार्डों के समुचित रूप से रख-रखाव की व्यवस्था करना, यथापेक्षित आवधिक विवरण तथा विवरणियां समय पर तैयार करना तथा उन्हें विभिन्न एजेंसियों को प्रस्तुत करना;
- (xv) निदेशक मंडल की नीतियां, उद्देश्य तथा योजनाएं बनाने में सहयोग प्रदान करना:
- (xvi) अधिनियम के तहत, खातों में की गई प्रविष्टियों की प्रतियां प्रमाणित करना;
- (xvii) इफको के प्रचालनों व कार्यकलापों के मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल को अपेक्षित आविधक सूचनाएं प्रस्तुत करना;
- (xviii) वार्षिक रिपोर्ट का मसौदा और वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना;
- (xix) कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कारखानों का अधिष्ठाता नियुक्त करना;
- (xx) आम सभा या निदेशक मंडल द्वारा सौंपा गया या निर्देशित अन्य कोई मामला।

- x) to determine powers, duties and responsibilities of the employees of IFFCO:
- xi) to institute, conduct, defend, compound or abandon any legal proceeding by or against IFFCO or its officer or otherwise concerning the affairs of IFFCO and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any claims or demand by or against IFFCO;
- xii) subject to the regulations, if any, which may be framed by the Board of Directors, to enter into negotiations, sanction contracts and incur revenue expenditure; and to rescind and vary such contracts and do all such acts, deeds and things in the name of and on behalf of IFFCO in relation to any of the matters aforesaid for the purpose of IFFCO upto the value of ₹ 2 crore at a time;
- (xiii) to assign all or any of the powers, authorities and discretions vested in him to any employee or employees of IFFCO, subject to the ultimate control and authority being retained by him;
- (xiv) to make arrangements for the proper maintenance of various books and records of the Society, to arrange correct preparation and timely submission of periodical statements and returns to various agencies, as is required;
- (xv) to assist the Board of Directors in the formulation of policies, objectives and planning;
- (xvi) to certify copies of entries in the Books under the Act;
- (xvii) to furnish to the Board of Directors periodical information necessary for apprising the operations and functioning of IFFCO;
- (xviii) to present the draft annual report and financial statements for the approval of the Board;
- (xix) to appoint Occupier of Factories under the Factories Act, 1948;
- (xx) Any other matter as may be delegated or directed to be dealt with by the General Body or the Board of Directors.

सहकारी सूचना अधिकारी

- 54क. (i) सिमिति अपने सदस्यों को सिमिति के मामलों और प्रबंधन से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक सहकारी सूचना अधिकारी नियुक्त करेगी और ऐसी जानकारी उप—नियम 54बी में निर्दिष्ट प्रकटीकरण मानदंडों के तहत आने वाली जानकारी तक ही सीमित होगी।
 - (ii) समिति का कोई भी सदस्य आवेदन कर सकता है, आवेदन शुल्क, जानकारी प्रदान करने के लिए अन्य शुल्क और भुगतान का तरीका सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के प्रावधानों के तहत निर्धारित होगा। सहकारी सूचना अधिकारी, तारीख से आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर जानकारी प्रदान करेगा या कारण बताते हुए आवेदन को अस्वीकार करेगा।
 - (iii) बहु—राज्य सहकारी समिति का कोई भी सदस्य जिसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, वह अधिनियम के तहत सहकारी लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है।

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां सशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

54ख उपनियम 54ग के अधीन, सदस्यों को निम्नलिखित जानकारी दी जा सकती है

- (i) सदस्यता संबंधी प्रश्न जैसे इफको द्वारा भुगतान किया गया लाभांश, उस समिति की शेयर पूंजी के बारे में जानकारी।
- (ii) लेखा परीक्षित खातों और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति
- (iii) इफको के विपणन कार्यालयों / संयंत्र स्थानों के बारे में जानकारी
- (iv) इफको के उपनियमों की प्रति

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

CO-OPERATIVE INFORMATION OFFICER

- 54A. (i) The society shall appoint a co-operative information officer to provide the information relating to affairs and management of the society to the members of the society and such information shall be confined to the information falling under the disclosure norms as specified in Bye-Law 54B.
 - (ii) Any member of the society can make an application, the application fee, other charges for supplying the information and manner of payment shall be such as prescribed under the provisions of the Right to Information (Regulation of fee and Cost) Rules,2005. The Co-operative Information Officer shall, within thirty days from the date of receipt of application, either provide the information or reject the application specifying the reason to do so.
 - (iii) Any member of the multi-State co-operative society whose application has been rejected may prefer an appeal to the Co-operative Ombudsman under the Act.

Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

- 54B. Subject to Bye-Law 54C, the following information may be given to the members:
 - (i) Membership related queries such as dividend paid by IFFCO, information about share capital of that society;
 - (ii) Copy of Audited Accounts and Annual Report;
 - (iii) Information about marketing offices/ plant locations of IFFCO;
 - (iv) Copy of IFFCO's Bye-Laws.

Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

- 54ग सूचना के प्रकटीकरण से छूट —इन उपनियमों में तथापि, किसी भी सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में कोई जानकारी देने की कोई बाध्यता नहीं होगी,
 - क) जिसके प्रकटीकरण से इफको की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े,
 - ख) जिसे किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने से स्पष्ट रूप से मना किया गया है या जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय की अवमानना हो सकती है
 - ग) जिसके प्रकटीकरण से किसी कानून के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा
 - घ) व्यावसायिक रूप से गोपनीय, व्यापार गोपनीय या बौद्धिक संपदा
 - ङ) विदेशी संस्था से विश्वास में प्राप्त जानकारी
 - च) ऐसी जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति, इफको के संयंत्रों या किसी अन्य इकाई के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो,
 - छ) ऐसी जानकारी जो किसी अन्य सदस्य, कर्मचारी और तीसरे पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत प्रकृति की हो
 - ज) वह जानकारी जो इफको और किसी तीसरे पक्ष के बीच किसी गोपनीयता समझौते और गैर—प्रकटीकरण द्वारा कवर की गई हो।
 - झ) किसी अन्य वाणिज्यिक इकाई से संबंधित जानकारी।
 - ञ) ऐसी जानकारी जो किसी अन्य कानून द्वारा निषिद्ध हो।
 - ट) निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया गया कोई अन्य मामला।

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

- 54C. Exemption from disclosure of information. Notwithstanding anything contained in these Bye-Laws, there shall be no obligation to give any member any information concerning the following:
 - a) disclosure of which would prejudicially affect the security, strategic, scientific or economic interests of the IFFCO;
 - b) which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court;
 - c) the disclosure of which would cause a breach of privilege of any law;
 - d) commercially confidential, trade secrets or intellectual property;
 - e) information received in confidence from foreign entity;
 - f) information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person, plants of IFFCO or any other entity;
 - g) information which relates to personal information of an individual;
 - h) information which is personal in nature pertaining to any other members, employees and third party;
 - i) information which covered between IFFCO and any third party by any confidentiality agreement and Non-disclosure;
 - j) information related to any other commercial entity;
 - k) information which is prohibited by any other law;
 - I) Any other matter decided by the board of directors from time to time.

Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

रासायनिक उर्वरकों का आवंटन

55. निदेशक मंडल इफको के उत्पादों को, विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में सभी समितियों द्वारा प्रदत्त शेयरों के मूल्य के अनुपात में आवंटित करने के लिए और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ई.सी.ए. योजना के अनुरूप वार्षिक कार्यक्रम तैयार करेगा। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के लिए आवंटन शीर्षस्थ सहकारी विपणन समिति या किसी अन्य संगठन को किया जाएगा जैसा कि निदेशक मंडल निर्धारित करे। यदि कोई आवंटी निर्धारित अविध के दौरान उत्पाद स्वीकार न कर पाये तो उसे किया गया आवंटन प्रबन्ध निदेशक किसी दूसरे को कर देंगे।

समिति के लाभों का वितरण

- 56. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार आम सभा इफको के निवल लाभों का वितरण निम्न प्रकार करेगी:
 - (i) कम से कम 25 प्रतिशत आरक्षित निधि के लिए रखा जाएगा;
 - (ii) केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सहकारी शिक्षा निधि में यथानिर्धारित भाग जमा कराना;
 - (यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया।]
 - (iii) बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम में निर्धारित सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि में ऐसी राशि जमा कराना।
 - (यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया।]
 - (iv) शेष राशि निम्नलिखित में से किसी एक या सभी उद्देश्यों के लिए आवंटित की जाएगी;
 - (क) शेयरों पर लाभांश अधिकतम 20% की दर से;
 - (ख) सदस्यों को खरीद पर छूट;
 - (ग) भवन, शिक्षा, दान व अन्य कोई निधि;

ALLOTMENT OF CHEMICAL FERTILISERS

55. The Board of Directors shall draw up an annual programme for allocating the products of IFFCO to various States/Union Territories in proportion to the value of shares paid by all Societies in each State/Union Territories and in accordance with the ECA Plan approved by the Government of India. The allotment for a State/Union Territory shall be made to Apex Cooperative Marketing Society or to any other organization as may be determined by the Board of Directors. In the event of any allottee not accepting within a specified period, the allotment made to it, Managing Director shall reallocate the products.

DISTRIBUTION OF PROFITS OF THE SOCIETY

- Subject to the provisions of the Act and the Rules framed thereunder, the net profits of IFFCO shall be distributed by the General Body as follows:
 - (i) at least 25 percent shall be carried to the Reserve Fund;
 - (ii) credit such portion, as is prescribed, to the Cooperative Education Fund maintained by the Central Government;
 - Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]
 - (iii) credit such amount, as may be prescribed in the MSCS Act, to the Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund.
 - Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]
 - (iv) the remaining amount may be allocated to any or all the purposes detailed below:
 - (a) dividend on shares subject to a ceiling of maximum 20% in a year;
 - (b) rebate to members on purchases;
 - (c) building, education, charitable or any other funds.

- (v) अवितरित लाभ इफको की आरक्षित निधि में जोड़ा जाएगा। तथापि, किसी अप्रत्याशित हानि को पूरा करने के लिए, कम से कम 10 प्रतिशत राशि आरक्षित निधि में अंतरित की जाएगी।
- (vi) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार इफको कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान।
- 57. इफको के इन उप—नियमों और सम्बद्ध समितियों के उप—नियमों में कोई विवाद होने की स्थिति में इफको के उप—नियम लागू होंगे।

विविध

- 58. आम सभा या निदेशक मंडल के किसी कार्य को इसके किसी सदस्य के चुनाव में कोई दोष होने अथवा इनमें होने वाले किसी रिक्त स्थान को न भरे जाने के कारण अवैध नहीं समझा जाएगा।
- 59. समिति अपने कर्मचारियों के लाभार्थ, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसरण में अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू करेगी।

निधियों का निवेश

60. इफको, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अपनी निधियों का निवेश या जमा कर सकता है।

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं. एफ. नं. एल—11015/8/75—एल एंड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां संशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया]

भर्ती नीति

61 विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की भर्ती समय—समय पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित समिति की सेवा नियमावली में निर्दिष्ट शैक्षिक और अनुभव मानदंडों के अनुसार पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण और पर्याप्त रूप से प्रचारित प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।

(यह संशोधन तारीख 12 दिसंबर 2023 के पंजीकरण प्रमाण—पत्र सं0 एफ.नं0एल—11015/8/75—एल एण्ड एम के द्वारा पंजीकृत किया गया) [दसवां सशोधन ग्यारहवें संस्करण में सम्मिलित किया गया।]

- (v) the undistributed profits shall be added to the Reserve Fund of IFFCO. However, an amount of at least 10% shall be transferred to the reserve fund for meeting unforeseen losses;
- (vi) payment of ex-gratia to the employees of IFFCO in accordance with the scheme approved by the Board.
- 57. In the event of a conflict between the Bye-Laws of IFFCO and those of the affiliated societies, the Bye-laws of IFFCO shall prevail.

MISCELLANEOUS

- 58. No act of the General Body or the Board of Directors shall be deemed invalid by reason of any defect in the election of a Member thereof or by reason of any vacancy therein not having been filled in.
- 59. The society shall maintain a Contributory Provident Fund for the benefit of its employees in accordance with the provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

INVESTMENTS OF FUNDS

60. IFFCO may invest or deposit its funds in accordance with MSCS Act, 2002 and Bules framed thereunder.

(Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

RECRUITMENT POLICY

61. The recruitment of employees at various levels shall be done through a transparent, objective and adequately publicised competitive process as per the educational and experience criteria specified in the service manual of the society, approved by the board of directors from time to time.

Amendment registered vide Certificate of Registration No. F.No. L-11015/8/75-L&M dated 12th December, 2023) [Tenth amendment incorporated in 11th edition]

इंडियन फारमर्स फरिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LIMITED

IFFCO Sadan, C-1, District Centre, Saket Place, New Delhi - 110017

Web: www.iffco.coop, www.iffco.in Blog: www.iffcolive.com

Follow us:







